श्रम संगम

वर्ष: 11, अंक: 2

जुलाई-दिसम्बर 2025

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्‌दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्‌दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

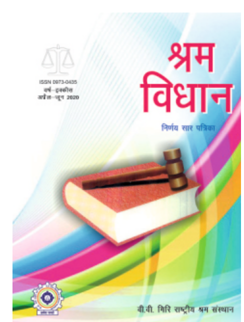

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश

श्रम संगम

वर्षः 11, अंकः 2, जुलाई-दिसम्बर 2025

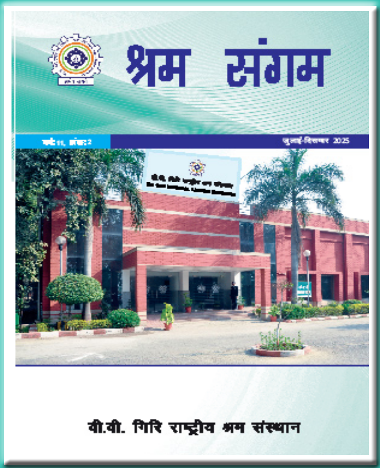

संरक्षक
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

अनुक्रमणिका

महानिदेशक की कलम से	ii
राजभाषा हिन्दी – पी. एल. कोठरी	1
श्रम संहिताएंः सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा – राजेश कुमार कर्ण	3
तोहफा रब का (कविता) – दीपक मोर	8
जलवायु परिवर्तन, अमेरिका और भारत – बीरेन्द्र सिंह रावत	9
बीता हुआ जमाना (कविता) – दिगम्बर सिंह बिष्ट	14
जीवन का संग्राम (कविता) – प्रकाश कुमार मिश्रा	14
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2025 का आयोजन	15
राष्ट्रगीतः वंदे मातरम्... आजादी के परवानों का तराना – राजेश कुमार कर्ण	16
सिविल सेवाएँ : महत्व, इतिहास एवं मिसाल – गीता अरोड़ा	20
छुट्टी का दिन (कहानी)	26
कृत्रिम बुद्धिमत्ताः अवसर एवं चुनौतियाँ – राजेश कुमार कर्ण	30
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन	44
नौकरी कर रही हूँ मैं (कविता) – वर्षांजली तिवारी	46

महानिदेशक की कलम से...

भारत में भाषाई विविधता का पूरा–पूरा सम्मान करते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को रखा था। कालांतर में इसमें आठ और भाषाओं को जोड़ा गया है परन्तु भाषाओं के इस विविधतापूर्ण परिवेश में लगभग 53 प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली–समझी जाने वाली हिन्दी भाषा का एक विशिष्ट स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में जहाँ यह जन–जन की संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय हुई, वहीं दक्षिण भारत में सी. राजगोपालाचारी एवं अन्य हिंदी विद्वानों ने इसे 'दक्षिण भारत हिंदी समिति' के कार्यकलापों के माध्यम से वहाँ के लोगों तक पहुंचाया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया। इस तरह स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी एक प्रमुख संपर्क भाषा बनी और इसने जनमानस के मध्य स्वीकार्यता हासिल करते हुए खुद को भी स्थापित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों ने हिंदी भाषा के प्रसार में एक 'सॉफ्ट पावर' के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों ने सरल, आम बोलचाल वाली भाषा को न केवल देश के गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों में, बल्कि वैश्विक स्तर पर (प्रवासी भारतीयों के माध्यम से) अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है। यह भाषा की पहुँच एवं स्वीकृति में मील का पत्थर है। हिंदी के वैश्विक प्रसार में प्रवासी भारतीयों का योगदान अतुलनीय है, जिन्होंने साहित्य, सिनेमा, संगीत और शिक्षा के माध्यम से हिंदी को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है। परन्तु 'राजभाषा हिन्दी' को आज भी वह स्थान हासिल नहीं हो पाया है जिसकी वह हकदार है। यह तभी संभव हो पाएगा जब सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने का प्रयत्न करें।

श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डॉ. अरविंद)

राजभाषा हिन्दी

पी. एल. कोठारी*

हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं परंतु हमें अपनी मुख्यधारा से जुड़े रहना जरूरी होता है। इसी तरह किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वहाँ की भाषाओं से ओत–प्रोत होना भी जरूरी होता है। राष्ट्रभाषा हिन्दी इसी संदर्भ में हमें एक नये पथ की ओर अग्रसर कर रही है, चाहे वह आजादी से पहले का समय हो या आजादी के बाद का समय। इसीलिए हमें हिन्दी भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम तथा संघर्ष करना पड़ता है। हमारी हिन्दी भाषा भी कड़े संघर्ष के बाद वर्तमान स्थिति तक पहुंची है।

भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र की अपनी गरिमा होती है। जिस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के ध्वज, गान का अपना अस्तित्व होता है उसी प्रकार भाषा का भी अपना अस्तित्व होता है। हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। जैसा कि विदित है कि हिन्दी को संविधान निर्माताओं द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान की अष्टम् अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है परंतु हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई तथा कार्यरत है। इस संपर्क भाषा को राजभाषा बनाने के लिए स्वर्गीय रवींद्रनाथ ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, महात्मा गाँधी, पंडित मदन मोहन मालचीय, राजर्षि टंडन सहित असंख्य राष्ट्रनायकों ने अथक प्रयास किए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में क्रियाकलाप हेतु 6 भाषाएँ अर्थात (1) चीनी (2) स्पेनिश (3) अंग्रेजी (4) अरबी (5) रूसी और (6) फ्रेंच आधिकारिक रूप से स्वीकारी गई हैं। इन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक दर्जा दिया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिन्दी इन सभी भाषाओं से अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम उपभोक्ताओं को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि हिन्दी भाषा पूरे विश्व में एक अरब से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार अंग्रेजी एवं चीनी भाषाओं के बाद हिन्दी विश्व की तीसरी प्रमुखतम भाषा है। अब प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिन्दी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? हिन्दी का विश्व सम्मेलन हिन्दी की लोकप्रियता को अपने आप ही दर्शाता है। हिन्दी सबसे उपयुक्त भाषा के रूप में स्थापित हुई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है, जबकि विश्व की ऐसी कोई भी भाषा इसके अनुरूप नहीं है।

विश्व में हिन्दी भाषा की सिरमौर स्थिति देखकर जहाँ गर्व से छाती फूल उठती है वहीं अपने देश में हिन्दी भाषा की निरन्तर उपेक्षा देखकर मन द्रवित हो उठता है। हम हिन्दी भाषा को बोलने में अपनी अवहेलना समझते हैं जबकि अंग्रेजी भाषा बोलने में अपनी शान समझते हैं। जब विदेशियों द्वारा किसी कृति की प्रशंसा की जाती है तब हमें उसकी श्रेष्ठता का भान (एहसास) होता है। हम आज भी अंग्रेजी मानसिकता के तले दबे हुए हैं। अपनी छोटी सोच की कैद से हमें खुद ही निकलना होगा, तब जाकर ही हम हिन्दी को और उठा सकेंगे।

15 अगस्त 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई और 14 सितम्बर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी लिपि देवनागरी तय हुई और अनुच्छेद 351 के अतर्गत भारत सरकार को हिन्दी के प्रचार–प्रसार का दायित्व दिया गया। फिर क्या कारण है कि इतने वर्षों बाद भी जब संस्कृत माँ, हिन्दी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी की स्थिति में होनी चाहिए थीं, आज दिशा इसके विपरीत है।

यदि हमें राजभाषा के विकास या कार्यान्वयन को गतिमान बनाना है तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नांकित बातों को दायित्व के साथ निभाना

* सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

है। आवश्यकता है इस दीपक को अखंड ज्योति में बदलकर हिन्दी वर्ण से हिन्दी ज्ञान तक ले जाने की। अमावस्या का अंधकार अंधापन नहीं हैं, परंतु पूर्णिमा तक पहुँचाने के लिए हम सबको अनवरत त्याग, कर्म, सेवा, तपस्या, अनुष्ठान करने होंगे ताकि राजभाषा निम्नांकित बातों से अपने लक्ष्य तक पहुँच सके।

1. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से, चाहे रोजमर्रा के कार्य हों, या बैंक के कार्यकलाप, हिन्दी में करें। स्वयं अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें, संवाद की भाषा यथासंभव हिन्दी ही रखें।

2. प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी फाइलों में टिप्पणी, दैनिक कार्य का विवरण, हाजिरी पुस्तिका में प्रविष्टियाँ हिन्दी में करें। नामपट्ट, रबड़ की मुहरें द्विभाषी हों। फाइलों पर हिन्दी में शीर्षक हों। हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। गृह पत्रिका के लिए हिन्दी में सूचना एवं आलेख दें। तकनीकी कर्मचारी कहीं के भी हों, हिन्दी में काम करें। ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दें ताकि उनके काम में गलतियां न हों।

3. गर्व से हिन्दी में पत्राचार करना है। जब 'फादर कामिल बुल्के' विदेशी होकर भी हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ 'शब्दकोश' का सृजन कर सकते हैं तो क्या हम भारतीय अपनी भाषा में पत्राचार नहीं कर सकते।

4. सरकार को सरकारी नौकरियों में हिन्दी के प्रयोग को पदोन्नति से जोड़ना होगा, तभी हमारे कार्मिक लोगों में राजभाषा में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होगी।

5. राजभाषा विकास को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को सबसे पहले स्वयं को सुधारना है। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, परंतु बूंद–बूंद से समुद्र बनता है और राजभाषा विकास में आने वाली कठिनाइयाँ आग से पहले धुएँ की स्थिति वाली दशा है।

6. जहाँ राजभाषा विकास को प्रभावी बनाने के लिए नौकरशाही–नेताओं को राष्ट्र के व्यापक हित में क्षुद्र स्वार्थ से उठकर अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान की भावना लेकर नीतियों को बदलना चाहिए, वहीं हम सबको हिन्दी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए स्वयं तो अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करना ही चाहिए, साथ ही स्वाभिमान के आलोक से आस–पास के वातावरण को भी प्रकाशित करना चाहिए।

7. राजभाषा हिन्दी में सभी कर्मचारियों को अपनी–अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी कार्यालयों में हिन्दी का वातावरण निखरेगा एवं राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में अभिवृद्धि होगी।

8. किसी भी कार्यालय में कर्मचारी राजभाषा हिन्दी में जितनी गहराई से कार्य करेंगे उस कार्यालय की छवि–गौरव–गरिमा में वृद्धि होगी और राजभाषा के विकास के लिए जितने अधिक कार्मिक अपना योगदान देंगे, उतना ही राजभाषा का विकास तीव्र गति से होगा। राजभाषा अनुभव के सहारे गति तो मिलेगी ही परंतु कार्मिक अपनी भूमिका निर्वाह सही से करेंगे तो निश्चय ही मनवांछित फल प्राप्त होंगे।

9. इसलिए राजभाषा हिन्दी के विकास को प्रभावी बनाने की दिशा में सबसे सार्थक और ठोस कदम हिन्दी के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प लेना है न कि केवल इसे भाषणों की राजनीति तक सीमित कर देना। हम सब के मान से ही सदा अपने अर्थ व्यवहार में हिन्दी का सूर्य उगाना है तब मानसिक गुलामी का अंधकार दूर हो जाएगा।

10. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संविधान एवं राजभाषा अधिनियम को ईमानदारी के साथ ठीक से पढ़ें, समझें तथा जो कुछ अच्छा लगे उसे तन–मन से प्रचारित करें तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी को सुशोभित करने हेतु सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करें।

11. हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को व्यावहारिक समस्याएं अवश्य हैं, परंतु लगातार व्यवहार से कोई भी भाषा अपने आप में सरल हो जाती है। यह हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम राजभाषा हिन्दी का प्रयोग एवं सम्मान करें।

श्रम संहिताएं: सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा

राजेश कुमार कर्ण*

उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता पूंजी, तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम एक महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम बल के उचित योगदान के अभाव में पूंजी और तकनीक जैसे अन्य संसाधन भी अभीष्ट की पूर्ति में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रह जाते। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की है क्योंकि किसी की मेहनत, किसी की सोच, किसी के जोश और हर श्रमिक के योगदान से नया भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'श्रमेव जयते' के इसी मंत्र से चाक–चौबंद चार श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 को लागू कर दी गई हैं। ये सुधार देश के हर श्रमिक को सशक्त, सुरक्षित और सम्मानित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में "श्रमेव जयते! हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा।"

श्रम करने वाला श्रमिक एक श्रमयोगी है। वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की कई समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण और प्रतिष्ठा देने की जरूरत के साथ ही शासन की व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन समय की आवश्यकता रही है। सामाजिक जीवन में श्रम एवं श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रम योगी का गौरव राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। उसी दिशा में एक प्रयास के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत सरकार ने चार श्रम संहिताएं– मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दी हैं। इसने मौजूदा 29 श्रम कानूनों की जगह ली है। यह श्रम नियमावली को आधुनिक बनाता है और मजदूरों की भलाई एवं श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़ता है। यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के साथ ही उद्योग–अनुकूल बनाने की भी नींव रखेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के शब्दों में "श्रम सुधारों से समय पर वेतन, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ज्यादा अधिकार और युवाओं के साथ नारी शक्ति के लाभ भी सुनिश्चित हुए हैं।"

15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से श्रमेव जयते का आह्वान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए कहा कि ये कोड श्रमिक भाई–बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही, ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। पीएम मोदी का मानना है कि इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा। भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए–नए अवसर तो बनेंगे ही, उत्पादक्ता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की यात्रा को भी तेज गति मिलेगी।

सेबी एवं एलआईसी के पूर्व चेयरमैन जीएन वाजपेयी के अनुसार उत्पादक क्षमताओं की पड़ताल करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे आठ अमेरिकी डालर है। जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर लक्जमबर्ग की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146, आयरलैंड की 143, नार्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डालर है। भारत की श्रम उत्पादकता जी–20 देशों में सबसे

* *आशुलिपि सहायक, ग्रेड – I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

कम है। यहां तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य घंटे कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं।

भारत सप्ताह में 46-48 घंटे काम करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम वेतन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद सीमित प्रति श्रमिक उत्पादन के कारण नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। भारत इस मोर्चे पर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2025 में श्रम सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। देश में पहले 29 श्रम कानून थे, जो जटिलताओं से भरे थे। औपनिवेशक कार्यसंस्कृति से ओतप्रोत ये कानून समय के अनुरूप सुसंगत भी नहीं हो पा रहे थे। इनमें 1436 प्रावधान, 181 फार्म, आठ अलग–अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग कसौटियां थीं। इसने जहां व्यापार सुगमता की राह बाधित की तो श्रमिकों को अपेक्षित सुरक्षा आवरण से भी वंचित बनाए रखा। अब इन 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है। इनमें मजदूरी संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (2020) 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई हैं। ये सुधार अनुपालन के सरलीकरण, परिभाषाओं के मानकीकरण, कवरेज दायरे के विस्तारीकरण की राह पर बढ़ते हुए कामकाजी आबादी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ढांचागत परिवर्तनों की ओर उन्मुख करते हैं। इसमें उंदीयमान गिग इकोनमी को भी जोड़ा गया है। उम्मीद है कि ये श्रम सुधार कार्यसंस्कृति बदल कर श्रमिक सुरक्षा एवं उत्पादकता में संतुलन साधेंगे।

देखा जाए तो श्रम सुधार कई तरीकों से उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। जैसे स्पष्ट रोजगार शर्तों के माध्यम से औपचारिक रोजगारों को इनसे प्रोत्साहन मिलेगा। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न से व्यापार सुगमता बढ़ेगी और नौकरशाही के स्तर पर गतिरोध दूर होंगे। अनुपालन के बोझ में कमी कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और उनकी लागत घटाएगी। रोजगारों का संगठित स्वरूप भी मानव संसाधन नियोजन एवं उनके बेहतर उपयोग की सुविधा को बढ़ाएगा। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआइसी और भविष्य निधि के तहत चिकित्सा देखभाल, बीमारी की स्थिति में नकदी सहायता, मातृत्व कवरेज और दिव्यांग सहायता के फायदों का विस्तार अनौपचारिक, गिग एवं ऐसे ही अन्य मंचों पर सक्रिय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसी तरह अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, नियंत्रित कामकाजी समय, सुरक्षा सुविधाएं और लैंगिक समानता मानदंड से मिलने वाले प्रोत्साहन श्रमिकों का हौसला एवं उत्पादकता बढ़ाने का काम करेंगे। जहां रात्रि की पाली में महिलाओं के लिए काम की गुंजाइश उनके लिए अवसर बढ़ाएगी तो निश्चित अवधि के बाद स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता श्रमिकों में सुरक्षा भाव का संचार करेगी। औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत–विशेष रूप से विनिर्माण, आतिथ्य सत्कार और छोटे उद्यमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति एवं उनके समायोजन में लचीलापन प्रदान किया गया है। इससे उद्यमों के लिए बिना किसी अनावश्यक बोझ के संचालन सुगम होगा। हालांकि, यह नियम केवल तभी लागू होगा जब उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 300 या उससे कम हो। राज्यों के पास इस नियम में परिवर्तन की गुंजाइश भी है। पुरानी व्यवस्था में तमाम अवरोधों के चलते भारत के वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्र वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। यह स्थिति अब बदल सकती है। इन सुधारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर भी उपाय करने होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा श्रमिकों के मोर्चे पर 300 की मानक संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये राज्य उद्योगीकरण की बयार पर सवार हैं और दूसरे यहां रोजगार के आकांक्षियों की संख्या भी अधिक है। तमाम संभावित फायदों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने इन सुधारों की आलोचना की है। उनकी दलील है कि इससे रोजगार सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता घटेगी और कर्मचारी नियोक्ता की मर्जी पर निर्भर होकर रह जाएंगे। वास्तविकता देखी जाए तो श्रम के औपचारिकीकरण और बेहतर नौकरी सुरक्षा से श्रमिकों और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से उपभोग में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। ये सुधार एक सरल, लचीले और समावेशी श्रम बाजार की दिशा

में निर्णायक परिवर्तन के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं और यदि इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए तो ये निश्चित रूप से, नौकरियों में औपचारिकीकरण की प्रक्रिया को गति देंगे, उत्पादकता में सुधार करेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े उद्यमों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आवरण का कवच तैयार करते हुए अंततः जीडीपी वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाएंगे।

बेशक देश के कई श्रम कानून आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती दौर (1930-1950) में बनाए गए थे। उस समय अर्थव्यवस्था और काम की दुनिया असल में बहुत अलग थी। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अधिकतर देशों ने हाल के दशकों में अपने श्रम से जुड़े नियमों को बेहतर और मजबूत किया, वहीं भारत 29 बिखरे हुए केंद्रीय श्रम कानूनों और कई हिस्सों में पुराने नियमों के तहत काम करता रहा। बाधा उत्पन्न करने वाले ये फ्रेमवर्क बदलती इकोनॉमिक सच्चाई और रोजगार के बदलते तरीकों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। इससे अनिश्चितता पैदा हुई। मजदूर और इंडस्ट्री दोनों के लिए नियमों का पालन करने का बोझ बढ़ा। चार श्रम कानूनों को लागू करने से औपनिवेशिक जमाने की संरचना से आगे बढ़ने और आधुनिक वैश्विक ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाने की इस लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया गया है। ये संहिताएं मिलकर मजदूर और कंपनी दोनों को मजबूत बनाती हैं। एक ऐसा श्रमबल तैयार करती हैं जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है, इससे ज्यादा मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर देश बनने का रास्ता बनता है।

संहिता 1: मजदूरी संहिता 2019

मजदूरी संहिता, 2019 का उद्देश्य चार मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाना है। इसका लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना है।

प्रमुख विशेषताएं:

- मजदूरी संहिता, 2019 के तहत नियमों की संख्या 163 से घटाकर 58, फॉर्मों की संख्या 20 से घटाकर 6 और रजिस्टरों की संख्या 24 से घटाकर 2 कर दी गई है।
- न्यूनतम मजदूरीः यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सुनिश्चित करती है।
- मजदूरी निर्धारणः सरकार श्रमिकों के कौशल स्तर भौगोलिक क्षेत्रों और नौकरी की स्थितियों पर विचार कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगी। पहले, न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जो करीब 30% कार्यबल को कवर करता था।
- लैंगिक समानताः समान कार्य के लिए भर्ती, मजदूरी और रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
- मजदूरी भुगतानः पुराने कानून केवल 24000 रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में लागू थे, किन्तु यह संहिता वेतन सीमा से परे सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- ओवरटाइम मुआवजाः नियोक्ता नियमित कार्य घंटों से अधिक किए गए किसी भी कार्य के लिए, ओवरटाइम वेतन का भुगतान सामान्य मजदूरी के दोगुने से कम दर पर नहीं कर सकता।
- एक राष्ट्र, एक वेतन संहिताः चार मौजूदा वेतन कानूनों को एक में समाहित करती है, जिसमें वेतन, श्रमिक, कर्मचारी आदि की एक समान परिभाषा है।

संहिता 2: औद्योगिक संबंध संहिता 2020

औद्योगिक संबंध संहिता इस तथ्य को स्वीकार करती है कि श्रमिक का अस्तित्व उद्योग के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यह सौहार्द एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- अनुपालन बोझ घटाः नियमों की संख्या 105 से घटकर 51, फार्म की संख्या 37 से घटकर 18 और रजिस्टरों की संख्या 3 से घटकर शून्य हो गई है।
- निश्चित अवधि का रोजगारः मजदूरी और लाभों में पूर्ण समानता, समय–सीमा वाले अनुबंधों की अनुमति। एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता।
- पुनः कौशल निधिः छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 15 दिनों की मजदूरी के बराबर राशि का योगदान कर निधि स्थापित।
- ट्रेड यूनियन की मान्यताः 51% सदस्यता वाली यूनियन को समझौताकारी यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी।

- श्रमिक की विस्तारित परिभाषाः कर्मचारियों, पत्रकारों और 18000 रुपये प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारी शामिल।
- महिलाओं का प्रतिनिधित्वः लैंगिक संवेदनशील मामलों के निपटारे के लिए शिकायत समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
- घर से काम का प्रावधानः पारस्परिक सहमति से सेवा क्षेत्रों में अनुमति।
- न्यायाधिकरणः विवाद निपटारे के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य से बना दो–सदस्यीय न्यायाधिकरण।
- सीधा न्यायाधिकरण पहुंचः पार्टियां 90 दिनों के भीतर विफल सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरणों से संपर्क कर सकती हैं।

संहिता 3: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता में मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को शामिल किया गया है। यह संहिता सभी श्रमिकों को जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और भविष्य निधि लाभों को कवर करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताएंः

- समयबद्ध ईपीएफ जांचः ईपीएफ जांच और वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए पांच साल की समय सीमा निर्धारित।
- घटी हुई ईपीएफ अपील जमा राशिः ईपीएफओ के आदेशों के खिलाफ अपील करने वाले नियोक्ताओं को अब आकलन की गई राशि का केवल 25% जमा करना होगा।
- निर्माण उपकर के लिए स्व–मूल्यांकनः नियोक्ता अब भवन और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में उपकर देनदारियों का स्व–मूल्यांकन कर सकते हैं।
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशनः सामाजिक सुरक्षा कवरेज की नई परिभाषाएं शामिल की गई है–'एग्रीगेटर', 'गिग वर्कर', और 'प्लेटफॉर्म वर्कर'।
- सामाजिक सुरक्षा निधिः असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों को कवर करने वाली योजनाओं के वितपोषण के लिए एक समर्पित निधि प्रस्तावित।
- आश्रितों की विस्तारित परिभाषाः दादा–दादी तक बढ़ाया गया। महिला कर्मचारियों के आश्रित सास–ससुर भी शामिल।
- मजदूरी की एक समान परिभाषाः 'मजदूरी' में अब मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल हैं।
- यात्रा दुर्घटनाएं शामिलः घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा में होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार–संबंधित माना जाता है।
- ग्रेच्युटीः पात्रता अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया है।

संहिता 4: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020

यह संहिता 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल कर, सरलीकरण और युक्तिकरण के बाद तैयार की गई है। यह श्रमिक अधिकार और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करती है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत का श्रम बाजार अधिक कुशल, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा।

प्रमुख विशेषताएंः

- एकीकृत पंजीकरणः इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए 10 कर्मचारियों की एक समान सीमा निर्धारित।
- खतरनाक काम तक विस्तारः सरकार इस संहिता के प्रावधानों को एक भी कर्मचारी वाले किसी भी प्रतिष्ठान तक बढ़ा सकती है।
- सरलीकृत अनुपालनः प्रतिष्ठानों के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न का ढांचा है।
- प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषाः प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा में अब वे श्रमिक शामिल हैं जो सीधे, ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित हैं या अपने आप प्रवास करते हैं।
- स्वास्थ्यः कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच।

- नियुक्ति पत्रः पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा को दर्शाते हुए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
- महिलाओं को रोजगारः महिलाएं सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात के घंटों में सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ काम कर सकती हैं।
- विस्तारित मीडिया कर्मी परिभाषाः 'श्रमजीवी पत्रकार' और 'सिने कर्मकार' में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो–विजुअल उत्पादन के सभी रूपों में कार्यरत कर्मचारी शामिल।
- असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेसः प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए होगा एक राष्ट्रीय डेटाबेस।
- पीड़ित को मुआवजा चोट या मृत्यु के मामले में, न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ितों या उनके कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- सुरक्षा समितियांः 500 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता–श्रमिक प्रतिनिधित्व के साथ सुरक्षा समितियों का गठन करेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा निधिः असंगठित श्रमिकों के कल्याण और लाभ वितरण के लिए एक निधि की स्थापना की गई है।

केंद्र सरकार की श्रम सुधारों से जुड़ी बड़ी पहल चार नई श्रम संहिताओं को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के बीच सकारात्मक माहौल बनने के संकेत मिले हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वे के आधार पर दावा किया गया है कि लगभग 60 प्रतिशत श्रमिकों का मानना है कि लेबर कोड के लागू होने से उनकी कार्य स्थितियों में व्यापक सुधार होगा। सर्वे के मुताबिक नए लेबर कोड को कामकाजी जीवन में सहजता, कारोबार करने में सुगमता, सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार और अनुपालन प्रणाली को सरल बनाने के लिहाज से बेहतर कदम माना जा रहा है। अध्ययन लेबर कोड के शुरुआती कार्यान्वयन चरण पर केंद्रित था, जिसमें श्रमिकों से व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तर पर राय ली गई, जबकि नियोक्ताओं की राय प्रमुखतः चैंबर आफ कामर्स, उद्योग संघों, बड़े औद्योगिक समूहों, एमएसएमई और छोटे उद्यमों के प्रतिनिधियों से जुटाई गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार सर्वे में कुल 6,435 प्रतिभागियों की राय शामिल की गई, जिनमें 5,720 श्रमिक कर्मचारी और 715 नियोक्ता थे। 63 प्रतिशत श्रमिकों ने काम के घंटों के बेहतर नियमन की उम्मीद जताई, जबकि 60 प्रतिशत ने आराम और छुट्टियों की स्थिति में सुधार की संभावना व्यक्त की। 64 प्रतिशत को वेतन पारदर्शिता और समय पर भुगतान से आय सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।

वहीं नियोक्ता वर्ग में भी सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। करीब 76 प्रतिशत नियोक्ताओं ने कार्यबल की स्थिरता के लिए लेबर कोड को अहम बताया, जबकि 64 प्रतिशत ने निश्चित अवधि के रोजगार मॉडल को अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त माना। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह अध्ययन भारत के विविध श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य, समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्यों को रेखांकित करता है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ठीक ही लिखा है कि श्रमिकों के लाभ बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक श्रम सुधार किए हैं, जिनके तहत 29 खंडित कानूनों को चार आधुनिक श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनका उद्देश्य उचित वेतन, समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है, साथ ही महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना है। जीएसटी सुधारों से हर भारतीय नागरिक को लाभ हुआ है, जिससे एक स्वच्छ दो–स्लैब संरचना बनी है। इससे घरों, एमएसएमई, किसानों और श्रम–प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम होगा। 2025 एक सेतु–निर्माण का वर्ष रहा। आगे और भी उत्साहजनक कदम आने वाले हैं। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा के नेतृत्व में एक पैनल व्यापक सुधारों का अध्ययन कर रहा है, जो प्रधानमंत्री की 'रिफार्म एक्सप्रेस' को और तेज करेगा। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, प्रतिस्पर्धी व्यापार, नवोन्मेशी उद्योग और एक मजबूत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के माध्यम से 'विकसित भारत' का निर्माण। भारत के निर्यातकों, निर्माताओं, किसानों और सेवा प्रदाताओं की सफलता ही राष्ट्र की सफलता है। भारत सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, वह उसे आकार दे रहा है। निर्णायक नेतृत्व, साहसिक सुधारों और स्पष्ट वैश्विक रणनीति के साथ भारत अपनी शर्तों पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय, राष्ट्र के रूप में दुनिया से जुड़ रहा है।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

तोहफा रब का

दीपक मोर*

अस्पताल की सीट पर बैठा मैं,
माँग रहा था दुआएँ दस रब से।
और मानो जैसे किसी सन्नाटे ने
मुझे थाम–सा लिया था।

वक्त जैसे ठहर–सा गया था,
अचानक वहाँ थोड़ी–सी हलचल हुई,
जैसे नई जिंदगी ने उस खामोशी को तोड़ दिया हो।
जब देखा उसे तो.......
वो नन्हीं–सी जान, इतना कोमल, इतना पवित्र,
मानो आसमान से कोई तारा उतर आया हो।

काँपते हाथों से मैंने उसे उठाया था,
नन्हीं–सी धड़कन, मासूम–सा चेहरा,
आँखों में अनजानी सी चमक।

जब मैंने उसे गोद लिया,
मेरी दुनिया उसकी साँसों में सिमट–सी गई,
उसके स्पर्श में अनमोल सा अहसास था।

जैसे एक तोहफा हो रब का,
जिसने भर दीं खुशियाँ मेरी रूह में।
दिया जीने का नया मकसद,
एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान।

उसे देखते ही मिट जाती है हर थकान,
मुरझाए चेहरे पर खिल उठती है मुस्कान।

कब बच्चे से बड़े हो गए हम,
कब जिम्मेदारियों ने हमें जकड़ लिया।

बचपन भी धुँधला सा हो गया था इन आँखों में,
पर रब के इस तोहफे ने फिर भर दिया वही
बचपन इन आँखों में।
नायाब है यह तोहफा मेरे रब का,
जिसने जीवन में नया सबेरा ला दिया।

जब कदम रखता हूँ घर की चौखट पर,
''पा–पा–पा'' कहकर होता है रोज स्वागत मेरा।
उसके साथ खेलकर मैं भी बन जाता हूँ बच्चा,
जिसे नहीं हैं कोई चिन्ता।

और उस क्षण ऐसा लगता है,
जैसे ना चाहिए घर की जायदाद, ना दुनिया की
शोहरत,
बस उसकी हँसी ही बन जाती है मेरी सबसे
बड़ी दौलत।

वो है मेरी थकान का मरहम,
वो है मेरे सपनों की वजह,
वो है, मेरा सब कुछ
वो है, मेरे रब का सकसे प्यारा, सबसे नायाब
तोहफा।

*सहायक ग्रेड–III, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

– मदन मोहन मालवीय

जलवायु परिवर्तन, अमेरिका और भारत

बीरेन्द्र सिंह रावत*

विश्व बिरादरी का मुखिया बनने को बेताब संयुक्त राज्य अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति का बहाना बनाकर नित नए परंतु अजीबोगरीब निर्णय ले रहा है। विश्वभर में अनेकों युद्ध रुकवाने का दंभ भरने वाले अमेरिका ने 03 जनवरी 2026 को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र वेनेजुएला पर हमला किया और अमेरिकी हितों को खतरा बताते हुए वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 में राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का फैसला किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से बाहर निकलने के लिए एक साल का नोटिस पीरियड जरूरी होता है और ठीक एक साल बाद अमेरिका 22 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, 'हम विश्व स्वास्थ्य संगठन में दोबारा शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं।' उनके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा है इसलिए अब अमेरिका अन्य देशों के साथ सीधे संपर्क करके रोग निगरानी और दूसरी प्राथमिकताओं पर काम करेगा। अमेरिका पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की करीब 2 हजार 380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस बकाया है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन का कहना है कहा कि वे कोई भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के साथ–साथ दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसे अमेरिकी कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार, 07 जनवरी 2026 को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की है। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 31 संस्थाएं और 35 गैर–संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं। व्हाइट हाउस और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं। इनमें पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा ये गैरजरूरी या खराब तरीके से चलाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, कई संगठन कट्टर जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ जाते हैं। प्रशासन ने साफ किया कि अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ा रहेगा, जो सीधे तौर पर उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हों। ट्रंप प्रशासन ने यह भी दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के पक्ष में रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से अमेरिका को ठोस लाभ मिले, न कि सिर्फ वैश्विक प्रतिबद्धताओं का बोझ। इस कदम को ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जो वैश्विक संस्थाओं से दूरी बनाने पर जोर देती है। इस फैसले की सबसे बड़ी बात है, अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) से बाहर होना। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएफसीसीसी 1992 का समझौता है, जो दुनिया के लगभग सभी देशों को जोड़ता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। यह पेरिस जलवायु समझौते के लिए भी अहम है, जिससे ट्रम्प पहले ही अमेरिका को बाहर करने की बात कह चुके हैं। ट्रम्प ने नवम्बर 2025 में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा था। इसके अलावा, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) जैसी महत्वपूर्ण जलवायु संस्थाओं से भी अमेरिका अलग हो रहा है। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जीन सू ने कहा कि इस गैरकानूनी कदम से अमेरिका हमेशा के लिए जलवायु कूटनीति से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञों

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

का कहना है कि इससे वैश्विक जलवायु प्रयासों को गहरा झटका लगेगा। ध्यातव्य है कि आज भी अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है।

कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है. इससे पर्यावरणीय और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक, इस गंभीर समस्या को जन्म देने में अभी सबसे आगे चीन है। साल 2023 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश था। उसने लगभग 11.9 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। इसके बाद इस सूची में अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा। अमेरिका ने 4.9 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया। जहां एक ओर अमेरिका ने 2010–2023 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाई, वहीं चीन की ओर से ये उत्सर्जन और बढ़ गया। अमेरिका ने इन सालों के बीच करीब 13 प्रतिशत उत्सर्जन में कमी लाई, वहीं चीन में कार्बनडाई ऑक्साइड का उत्सर्जन 38 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया। इस प्रकार चीन, दुनिया में प्रदूषण फैलाने में सूची में पहले नंबर पर बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं फैलाने में तीसरे नंबर पर है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने 3 अरब बिलियन मेट्रिक टन का धुआं फैलाया है। वहीं रूस इस सूची में चौथे नंबर पर है। रूस ने 1.8 अरब बिलियन मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन किया है। इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर जापान है. जापान ने 0.988 अरब बिलियन मेट्रिक टन का उत्सर्जन किया है। ये आँकड़े वर्ष 2023 के हैं परंतु यदि बात औद्योगिकीकरण के बाद से अब तक की जाए तो अमेरिका ने अब तक सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई हिस्सा, जो दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता चीन से दोगुना है।

निस्संदेह किसी देश के समग्र विकास के लिए ईंधन, इस्पात, सीमेंट आदि अत्यंत आवश्यक हैं और इन सभी चीजों का मनमाफिक दोहन करके आज के विकसित देशों ने वह सब हासिल किया है जिसके फलस्वरूप वे विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। अगर आज विश्व के विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन जरूरी चीजों का प्रयोग जारी रखे हुए हैं तो जलवायु परितर्वन के लिए केवल इन्हीं देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इन चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आज जीवाश्म ईंधन – कोयला, तेल और गैस – वैश्विक जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 68 प्रतिशत और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं। वैश्विक उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन जलाकर बिजली और गर्मी पैदा करने से होता है। अधिकांश बिजली अभी भी कोयला, तेल या गैस जलाने से उत्पन्न होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं जो पृथ्वी को ढक लेती हैं और सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं। विनिर्माण और उद्योग उत्सर्जन करते हैं, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जलाने से, जिससे सीमेंट, लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, कपड़े और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है। खनन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी गैसें निकलती हैं, साथ ही निर्माण उद्योग से भी। विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीनें अक्सर कोयला, तेल या गैस से चलती हैं। प्लास्टिक जैसी कुछ सामग्रियां जीवाश्म ईंधन से प्राप्त रसायनों से बनाई जाती हैं। विनिर्माण उद्योग विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। अधिकांश कारें, ट्रक, जहाज और विमान जीवाश्म ईंधन से चलते हैं। इससे परिवहन ग्रीनहाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। सड़क वाहनों से सबसे अधिक उत्सर्जन होता है, क्योंकि इनमें गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम–आधारित उत्पादों का दहन होता है। लेकिन जहाजों और विमानों से होने वाला उत्सर्जन भी लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक ऊर्जा–संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में परिवहन का योगदान लगभग एक चौथाई है और रुझान बताते हैं कि आने वाले वर्षों में परिवहन के लिए ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर, आवासीय और व्यावसायिक इमारतें

कुल बिजली का लगभग 60 प्रतिशत उपभोग करती हैं। चूंकि ये इमारतें हीटिंग और कूलिंग के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग करती रहती हैं, इसलिए इनसे ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। हीटिंग और कूलिंग के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग, एयर कंडीशनर के बढ़ते उपयोग, साथ ही प्रकाश व्यवस्था, घरेलू उपकरणों और संबद्ध उपकरणों के लिए बिजली की खपत में वृद्धि ने हाल के वर्षों में इमारतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि में योगदान दिया है। हमारी जीवनशैली का हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। घर में बिजली का उपयोग, आवागमन, भोजन और कचरा, ये सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का उपभोग भी इसमें योगदान देता है। सबसे धनी वर्ग की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 80 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।

उपरोक्त वर्णित सभी चीजों का अंधाधुंध उपयोग करने पर ही अमेरिका सहित अनेक राष्ट्र विकसित हुए हैं और आज जब उनकी विश्व बिरादरी को सबसे अधिक आवश्यकता है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। आज ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने के साथ–साथ वैश्विक सतह का तापमान भी बढ़ रहा है। पिछला दशक, 2015–2024, अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। 1980 के दशक से, प्रत्येक दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। लगभग सभी भूभागों में गर्म दिनों और लू की संख्या बढ़ रही है। उच्च तापमान से गर्मी से संबंधित बीमारियाँ बढ़ जाती हैं और बाहर काम करना अधिक कठिन हो जाता है। गर्म परिस्थितियों में जंगल की आग आसानी से लग जाती है और तेजी से फैलती है। आर्कटिक में तापमान वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम दोगुनी तेजी से बढ़ा है। कई क्षेत्रों में विनाशकारी तूफान अधिक तीव्र और अधिक बार आने लगे हैं। तापमान बढ़ने से नमी का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। इससे अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे और भी विनाशकारी तूफान आते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों की आवृत्ति और विस्तार पर महासागरों के गर्म होने का भी प्रभाव पड़ता है। चक्रवात, हरिकेन और टाइफून महासागर की सतह पर मौजूद गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे तूफान अक्सर घरों और बस्तियों को नष्ट कर देते हैं, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है।

जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता बदल रही है, जिससे अधिक क्षेत्रों में इसकी कमी हो रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी को और बढ़ा रही है। इससे फसलों को प्रभावित करने वाले कृषि सूखे और पारिस्थितिक सूखे का खतरा भी बढ़ रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। सूखा विनाशकारी रेत और धूल भरी आंधी भी ला सकता है, जो अरबों टन रेत को महाद्वीपों में उड़ा ले जा सकती है। रेगिस्तान फैल रहे हैं, जिससे खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम हो रही है। अब कई लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त पानी न मिलने का खतरा सता रहा है। महासागर वैश्विक तापवृद्धि से उत्पन्न अधिकांश ऊष्मा को सोख लेता है। पिछले दो दशकों में महासागर के सभी स्तरों पर उसके गर्म होने की दर में तीव्र वृद्धि हुई है। जैसे–जैसे महासागर गर्म होता है, उसका आयतन भी बढ़ता है क्योंकि गर्म होने पर पानी फैलता है। बर्फ की चादरों के पिघलने से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे तटीय और द्वीपीय समुदायों को खतरा है। इसके अलावा, महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे वह अधिक अम्लीय हो जाता है और समुद्री जीवन तथा प्रवाल भित्तियों को खतरे में डाल देता है।

जलवायु परिवर्तन से ज़मीन और समुद्र में रहने वाली प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। तापमान बढ़ने के साथ ये खतरे और भी बढ़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में प्रजातियों के विलुप्त होने की दर मानव इतिहास में दर्ज किसी भी समय की तुलना में 1,000 गुना अधिक है। अगले कुछ दशकों में दस लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। जंगल की आग, चरम मौसम और आक्रामक कीटों और बीमारियों जैसे कई खतरे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। कुछ प्रजातियां स्थानांतरित होकर जीवित रह सकेंगी, लेकिन अन्य नहीं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि वैश्विक स्तर पर भूख और कुपोषण में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।

मत्स्य पालन, फसलें और पशुधन नष्ट हो सकते हैं या उनकी उत्पादकता कम हो सकती है। महासागर के अम्लीय होने से अरबों लोगों को भोजन प्रदान करने वाले समुद्री संसाधन खतरे में हैं। आर्कटिक के कई क्षेत्रों में बर्फ और हिम आवरण में परिवर्तन ने पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने से खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया है। भीषण गर्मी से चराई के लिए पानी और घास के मैदान कम हो सकते हैं, जिससे फसलों की पैदावार घट सकती है और पशुधन प्रभावित हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। जलवायु के प्रभाव पहले से ही वायु प्रदूषण, बीमारियों, चरम मौसम की घटनाओं, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव और उन स्थानों पर भूख और कुपोषण में वृद्धि के माध्यम से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं जहां लोग पर्याप्त भोजन का उत्पादन या प्राप्ति नहीं कर सकते। हर साल, पर्यावरणीय कारकों के कारण लगभग 13 मिलियन लोगों की जान जाती है। बदलते मौसम के पैटर्न बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, चरम मौसम की घटनाएं मृत्यु दर को बढ़ा रही हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल बना रही हैं। जलवायु परिवर्तन गरीबी को बढ़ावा देने वाले कारकों को बढ़ाता है और गरीबी में फंसे रहने के कारणों को भी बढ़ाता है। बाढ़ शहरी झुग्गी–झोपड़ियों को बहा ले जा सकती है, जिससे घर और आजीविका नष्ट हो सकती है। भीषण गर्मी के कारण बाहरी कामों में काम करना मुश्किल हो सकता है। पानी की कमी फसलों को प्रभावित कर सकती है। 2024 में, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 45.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए। अधिकांश विस्थापन उन देशों में होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और अनुकूलन के लिए सबसे कम तैयार हैं।

एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका है जो जलवायु परिवर्तन को समर्पित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी अनेक संस्थाओं से दूर हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति पूर्णतः सजग होकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (जीसीपी) 2025 अध्ययन के अनुसार, जीवाश्म ईंधनों से भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2025 में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2024 में दर्ज 4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में एक तीव्र मंदी दर्शाता है। वर्ष 2001 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कार्बन चक्र और उस पर मानव गतिविधियों के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का अध्ययन तथा एकीकरण करना है। वर्ष 2005–2014 के बीच भारत की वार्षिक उत्सर्जन वृद्धि औसतन 6.4 प्रतिशत रही, लेकिन वर्ष 2015–2024 के दौरान यह घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है, जो कार्बन तीव्रता में सुधार और नवीकरणीय क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। वर्ष 2024 में यूएनएफसीसीसी को सौंपी गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 7.93 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत कुल नवीकरणीय क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर तथा सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है, जो इसके ऊर्जा परिवर्तन के पैमाने और गति को दर्शाता है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता (484.82 गीगावाट) में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अब 50.07 प्रतिशत है, जिससे कॉप26 गैर–जीवाश्म लक्ष्य निर्धारित समय से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त हो गया है। गैर–जीवाश्म क्षमता बढ़कर 242.8 गीगावाट हो गई है, जिससे भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में कोयले के उपयोग में केवल मामूली वृद्धि हुई और भारत के विद्युत क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2025 की पहली छमाही में मज़बूत स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि और कम समग्र बिजली मांग के कारण वर्ष–दर–वर्ष एक प्रतिशत की गिरावट आई।

भारत ने 'CLIMATE' परिवर्तन से निपटने के लिये एक स्थायी मार्ग तैयार करने हेतु एक LT-LEDS योजना तैयार की है। भारत की LT-LEDS में सात प्रमुख रणनीतिक परिवर्तन शामिल हैं, अर्थातः

C– स्वच्छ बिजलीः राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप बिजली प्रणालियों का कम कार्बन विकास।

L– निम्न–कार्बन परिवहनः एक एकीकृत, कुशल और समावेशी निम्न–कार्बन परिवहन प्रणाली का निर्माण।

I– समावेशी शहरी अनुकूलनः जलवायु–लचीले शहरी डिज़ाइन, ऊर्जा–कुशल इमारतों और टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देना।

M– विनिर्माण और उद्योग डीकार्बोनाइजेशनः कुशल, नवीन, कम उत्सर्जन औद्योगिक प्रणालियों के माध्यम से उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना।

A– वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासनः कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन का स्तर बढ़ाना और कठिन क्षेत्रों से निपटने के लिये इंजीनियरिंग समाधान।

T– वृक्ष एवं वनस्पति संवर्द्धनः पारिस्थितिक और सामाजिक–आर्थिक विचारों के साथ वन और वनस्पति आवरण का विस्तार करना।

E– नेट–ज़ीरो के लिये आर्थिक पथः कम कार्बन विकास हेतु आर्थिक और वित्तीय ढाँचे को मज़बूत करना और वर्ष 2070 तक नेट–ज़ीरो में परिवर्तन करना।

इसके अलावा, कॉप–26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर–परंपरागत ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। भारत ने जून 2025 में अपनी कुल स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता का 50 प्रतिशत गैर–परंपरागत ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह पेरिस समझौते के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले है। देश ने अगस्त 2025 में गैर–परंपरागत ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 250 गीगावाट की क्षमता प्राप्त कर ली। नवंबर 2025 तक गैर–परंपरागत ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 262.74 गीगावाट तक पहुंच गई है, यह देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता (509.64 गीगावाट) का 51.5 प्रतिशत है। 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष (नवंबर तक) कुल 44.51 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में जोड़ी गई 24.72 गीगावाट की तुलना में लगभग दोगुनी है। नवंबर 2025 में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट तक पहुंच गई है, यह नवंबर 2024 में 205.52 गीगावाट की तुलना में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इस प्रगति में सौर ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सौर क्षमता में 20.85 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि इस वर्ष सौर क्षमता में 34.98 गीगावाट की वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई। नवंबर 2025 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 132.85 गीगावाट तक पहुंच गई है, यह नवंबर 2024 के 94.17 गीगावाट की तुलना में 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। पवन ऊर्जा क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.2 गीगावाट की तुलना में इस वर्ष 5.82 गीगावाट की क्षमता वृद्धि हुई है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता मार्च 2025 में 50 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई और नवंबर 2025 में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 53.99 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह नवंबर 2024 के 47.96 गीगावाट की तुलना में 12.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। 29 जुलाई 2025 को भारत ने विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे उच्च हिस्सेदारी हासिल की और नवीकरणीय ऊर्जा से देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5 प्रतिशत पूरी हुई, जबकि वैश्विक स्तर पर पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से अभी एक–तिहाई ही बिजली आती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति पूर्णतः सजग होते हुए कार्य कर रहा है और भारत में कार्बन उत्सर्जन में यह कमी उत्साहजनक है, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि कॉप30 की तात्कालिकता को बढ़ा देता है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की गति को बनाए रखना तथा मज़बूत वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करना भविष्य के जलवायु जोखिमों को सीमित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

बीता हुआ जमाना

दिगम्बर सिंह बिष्ट*

याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना,
जो शुरू बचपन से, और खत्म बुढ़ापे पर जाना।
वो बचपन की यादें आज भी न भुला पाना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

बचपन के दिनों में, माँ का सुबह–सुबह जगाना,
न उठे तो मुह पर पानी मारना ।
और फिर भी न उठे तो पिताजी को बुलाना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

दोस्तो के साथ खुशी–खुशी स्कूल जाना,
फिर स्कूल से घर को वापस आना।
घर आकर फिर दोस्तों के साथ खेलना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

माँ को पीछे–पीछे गलियों में दौड़ाना,
फिर माँ का वो डांटना, फटकारना और पीटना।
उसके बाद अपने हाथों से खाना खिलाकर सुलाना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

बचपना खत्म फिर जवानी में आना,
स्कूल छोडकर कॉलेज में जाना।
कॉलेज की कैंटीन में जाकर मौज मस्ती करना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

कॉलेज छोड फिर नौकरी पाना,
नौकरी में बॉस की डांट खाना।
डांट के बाद सहकर्मी का समझाना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

फिर माता–पिता जी का बूढ़ा हो जाना, उनकी सेवा के लिए,
घर में शादी करके दुल्हन को लाना।
शादी की वो खुशियाँ और दुल्हन का घर आना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

माँ–बाप की सेवा करते–करते,
घर में पुत्री का जन्म होना,
अब हम भी माता–पिता बन गए हैं।
यही है आप लोगों को बताना,
याद आता है आज भी, वो बीता हुआ जमाना।।

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जीवन का संग्राम

प्रकाश कुमार मिश्रा*

जीवन का हर क्षण है रणभूमि की गाथा,
कभी हर्ष की रागिनी, कभी पीड़ा की परिभाषा।
आशा और निराशा में निरंतर युद्ध होता,
मनुष्य का स्वयं से ही सबसे बड़ा रण होता।।

कभी अज्ञान की अंधियारी, कभी ज्ञान का दीपक जलता,
कभी टूटे हुए सपनों का महल, कभी नया आधार पलता।
राहें काँटों से भरीं, फिर भी बढ़ना पड़ता है,
जीवन का यह संग्राम हर किसी को लड़ना पड़ता हैं।।

सपनों की तलवार लेकर, संघर्ष की ढाल थामे,
मंजिल की ओर चलता है, घावों को भी नामे।
जो गिरकर भी उठ जाए, वही असली योद्धा कहलाता,
हर हार के पार से ही सच्चा विजय गीत गाता।।

समय है सेनापति, परिस्थिति है चुनौती,
धैर्य है सबसे बड़ा अस्त्र, यही जीवन अनुपाम ज्योति।
कभी हँसी की बूँद मिलती, कभी आँसुओं का सागर,
पर अंततः यही संग्राम मनुष्य को बनाता अमर।।

संग्राम का अर्थ है, निज अंतर को जीत,
बाहर की हर हार भी, बन सकती है प्रीत।
जो मोह बंधन काट कर, रखे विवेक प्रकाश,
उसे जीवन पथ में, खिलता सत्य सुवास।।

* *अकाउंट एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2025 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 – 29 सितंबर 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़ा–2025 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। हिंदी पखवाड़ा–2025 के संबंध में 10 सितंबर 2025 को परिपत्र जारी किया गया एवं उसके माध्यम से सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया।

हिंदी पखवाड़ा – 2025 के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 35 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 23 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्रीमती निधि अग्रवाल ने प्रथम, श्री दिनेश बोस ने द्वितीय एवं श्री राजेश कुमार कर्ण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्री वैभव रैना ने प्रथम, सुश्री नियंग लेम जॉय ने द्वितीय एवं डॉ. रूमा घोष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्रीमती निधि अग्रवाल ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्री जगत सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्री वैभव रैना ने प्रथम एवं श्री अभिषेक रॉय चौधुरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री कृष्ण कुमार ने प्रथम, श्री विश्वनाथ मल्लाह ने द्वितीय एवं श्री हरीश सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

त्वरित भाषण प्रतियोगिता में श्री अभिषेक रॉय चौधुरी ने प्रथम, श्री जगत सिंह ने द्वितीय एवं श्री मोहम्मद सलमान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री मनवीर सिंह भंडारी ने प्रथम, श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट ने द्वितीय एवं श्री अजय कुमार यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्री मनवीर सिंह भंडारी ने प्रथम, श्री नितिन जायसवाल ने द्वितीय एवं श्री प्रवीण पाण्डेय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में श्री दीपक मोर ने प्रथम, सुश्री वर्षांजली तिवारी ने द्वितीय एवं श्री प्रकाश कुमार मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

सभी विजयी प्रतिभागियों को पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 29 सितंबर 2025 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

राष्ट्रगीतः वंदे मातरम्... आजादी के परवानों का तराना

राजेश कुमार कर्ण*

वंदे मातरम्– 'माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं', यह शब्द एक मंत्र, एक ऊर्जा और एक संकल्प है। हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भरता है। भविष्य को यह नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प या लक्ष्य नहीं, जो हम भारतवासी पा न सकें। वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को लेकर 01 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर तय किया कि अगले पूरे साल वंदे मातरम् का यशोगान किया जाएगा। वंदे मातरम् के यशोगान का पहला चरण नवंबर, 2025 में हुआ। दूसरा चरण जनवरी 2026 तीसरा चरण अगस्त 2026 और चौथा चरण नवंबर 2026 में होगा। एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव 07 नवंबर 2026 तक मनाया गया जिसकी शुरुआत 07 नवंबर 2025 को हुई थी। वंदे मातरम् के 150वें वर्ष में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 07 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर 'वंदे मातरम्' के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया गया। वंदे मातरम् की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से सामने रखने के साथ ही इन समारोहों के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत को उसके एकजुट आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास है।

हम हर बच्चे के मन में वंदे मातरम् के संस्कार को पुनः जागृत करें, हर किशोर के मन में वंदे मातरम् का नारा प्रस्थापित करें। हर युवा को वंदे मातरम् की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, वंदे मातरम् का उद्घोष उस भारत की रचना का कारण बने।

वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश भी दिया कि जो लोग राष्ट्र को केवल एक भू–राजनीतिक इकाई के रूप में देखते हैं, उनके लिए राष्ट्र को माँ मानने का विचार आश्चर्यजनक लग सकता है लेकिन भारत अलग है। भारत में, माँ जन्म देने वाली, पालन–पोषण करने वाली और जब उसकी संतान संकट में होती है, तो वह संकटों को हरने वाली भी होती है। मां भारती अपार शक्ति रखती है, विपत्ति में मार्गदर्शन करती है और शत्रुओं का नाश करती है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति के दिव्य अवतार के रूप में देखने की धारणा ने एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान रूप से शामिल करने का संकल्प लिया गया था। मोदी जी कहते हैं कि इस दृष्टिकोण ने भारत को एक बार फिर एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखने में सक्षम बनाया जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हो।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पूरे मूल गीत की पंक्तियों... 'त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरण–धारिणी कमला कमल–दल–विहारिणी वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम् नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम् सुजलां सुफलाम् मातरम्, वंदे मातरम्'! का हवाला देकर मोदी जी ने यह बताया कि भारत माता विद्या दायिनी सरस्वती भी हैं, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी हैं और अस्त्र–शास्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी हैं। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या एवं विज्ञान की ताकत से समृद्धि के शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष भी 07 नवंबर को ही पूरे हुए हैं। जब हमारी सेनाएं, दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो देश के सुरक्षाबल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है– वंदे मातरम्!

भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' अमर राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। यह राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। 'वंदे मातरम्' पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 07 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बाद में, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया। वंदे मातरम् की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति 1896 में हुई थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंगाली शैली में गाया था। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था, जिससे यह एक कविता से एक शक्तिशाली राष्ट्रगान बन गया। 1905 में, बंगाल के बंटवारे के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ने इसे एक ताकतवर हथियार के तौर पर अपनाया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे एक राष्ट्रवादी

* आशुलिपि सहायक, ग्रेड I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

नारे में बदल दिया। 'वंदे मातरम्' का नारा लाहौर से लेकर कलकत्ता तक सड़कों और जुलूसों में गूंजने लगा। अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इसे आजादी का मंत्र कहा। अंग्रेजों ने इसे बैन करने की कोशिश की, लेकिन इस गाने ने 1911 में बंगाल के बंटवारे को रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई। 1938 में जब नेताजी सुभाषचंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने तथा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए जब कलकत्ता से रवाना हुए, तब उनके साथ वंदे मातरम् गाने वालों का जत्था साथ था। हरिपुरा अधिवेशन की शुरूआत और समापन वंदे मातरम् से हुई। आर.आर. मुखर्जी के नेतृत्व में कलाकारों की प्रस्तुति ने समां बांध दिया। इसके बाद नेताजी ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। अमृत बाजार पत्रिका और उसके अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड ने पूरे खर्च का जिम्मा उठाया। मेगाफोन ने रिकॉर्डिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली। नेताजी के अनुरोध पर मशहूर संगीतकार तिमिर बरन ने आधुनिक तरीके से इसे प्रस्तुत करने की बात मानी, इस रिकॉर्डिंग की खासियत यह रही कि पूरा वंदे मातरम् गाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया था– "जन गण मन नाम के शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर शब्दों में बदलाव कर सकती है और वंदे मातरम् गीत, जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा। उसका दर्जा भी उसके बराबर होगा। मुझे आशा है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे।" उनके बयान को अपनाया गया और रवींद्रनाथ टैगोर रचित जन–गण–मन को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र रचित वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही लिखा है कि "वंदे मातरम्, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का गीत होने के साथ–साथ शाश्वत प्रेरणा का भी काम करता है। हमें न केवल यह याद दिलाता है कि हमने स्वतंत्रता कैसे हासिल की, बल्कि यह भी बताता है कि हमें इसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, यह शब्द सहज रूप से हमारे दिलों से उठते हैं– भारत माता की जय! वंदे मातरम्!"

वंदे मातरम् हमारे रग–रग में रचा–बसा है। वंदे मातरम् जिसने भारत को स्वावलंबन का रास्ता दिखाया, वंदे मातरम्... जिसने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, वंदे मातरम्... जो विदेशी कंपनियों को चुनौती देने का मंत्र बना, वंदे मातरम् जिसने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग–रग में बसा था।

महर्षि अरविंद ने कहा था कि वंदे मातरम् भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है जो वंदे मातरम् की महत्ता को बताता है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर महिमामंडन और गौरव गान से बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां इसके महत्व को समझेंगी। वंदे मातरम् की रचना में बहुत बारीकी से भारतवर्ष की मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश की मां के रूप में कल्पना कर उसकी आराधना करने की परंपरा को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पुनर्स्थापित किया। इस राष्ट्र गीत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसार हुआ और इसने बिना किसी प्रचार के हर व्यक्ति के मन को छुआ। वंदे मातरम् एक प्रकार से भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के पुनर्जागरण का मंत्र बन गया है। जिस जयघोष ने देश को आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम् का पुनः स्मरण करना, हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह एक ऐसा कालखंड है, जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को सामने लेकर आता है।

वंदे मातरम् को जब 50 वर्ष हुए, तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम् के 150 वर्ष गौरव पर्व के रूप में स्थापित करने का अवसर है। यही वंदे मातरम् है, जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम् की जिस भावना ने देश की आजादी की जंग लड़ी, फिर से एक बार अवसर है कि हम सब देश को साथ लेकर चलें, आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम् के 150 वर्ष हम सब की प्रेरणा–ऊर्जा बनें। देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में "वंदे मातरम्, राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है। यह संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब और प्रकटीकरण है। यह सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, नई ऊर्जा–नई प्रेरणा लेने का काल बन जाए। हम उसके प्रति समर्पित होते चलें।"

वंदे मातरम् की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र ने 1875 में की थी। गीत ऐसे समय में लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति–भांति के दबाव डाल रहे थे, जुल्म कर रहे थे। अंग्रेज अपने राष्ट्रीय गीत– गॉड सेव द क्वीन को भारत में घर–घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चला रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दा ने चुनौती दी। उसमें से वंदे मातरम् का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद, 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उस गीत का उसमें समावेश किया गया।

वंदे मातरम् ने हमारी सदियों पुरानी उस चेतना को जगाया जो हजारों वर्ष से भारत की रग–रग में रची–बसी थी। वंदे मातरम, सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, वो उससे कहीं आगे था। जब वंदे मातरम् कहते हैं, तो वेद काल की बात हमें याद आती है।

वेद काल से कहा गया है 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यही वह विचार है, जिसको प्रभु श्रीराम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमें आत्मनिर्भर बनना है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करना है। अगर आजादी से 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 2047 से 25 साल पहले हम भी एक समृद्ध और विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। उसे साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार गुलामी के कालखंड में हमारे कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, कृषि और शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया गया लेकिन हमारी संस्कृति के भाव को कोई नहीं मिटा सका। उस वक्त भाव को जागृत एवं पुनर्संगठित करने के लिए बंकिम बाबू ने वंदे मातरम् की रचना की। इसे न अंग्रेज रोक सके और न उस सभ्यता को स्वीकार करने वाले लोग रोक सके। वंदे मातरम् कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। जब वंदे मातरम् की रचना हुई, तब इसकी जरूरत जितनी थी, आज भी उतनी है। उस समय वंदे मातरम् देश को आजादी दिलाने का माध्यम बना, जबकि अमृत काल में वंदे मातरम् देश को विकसित और महान बनाने का नारा बनेगा।

बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम् की रचना की, तो स्वाभाविक ही वह स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। इसलिए वंदे मातरम् की स्तुति में लिखा गया था, ''मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, ये शब्द है वंदे मातरम्, है संजीवनी मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है, यह शब्द वंदे मातरम्। उष्ण षोणित से लिखो, वक्तस्थलि को चीरकर वीर का अभिमान है, यह शब्द वंदे मातरम्।''

अंग्रेजों के उस दौर में भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन और नीचा दिखाने का एक फैशन बन गया था। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरते और भारत के सामर्थ्यशाली रूप को प्रकट करते हुए लिखा था– त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी, कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम, अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् ! वन्दे मातरम् ! अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी हैं और दुश्मनों के सामने अस्त्र–शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी हैं।

क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी की जंग का हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम् की भावनाओं से गुजरता था। उसके तट पर पल्लवित होता था, ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं होगा। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे, जो इस प्रकार के भाव गीत की रचना कर सकते थे। यह विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तो दुनिया भी मनाना शुरू करेगी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था– एक कार्ये सोंपियाछि सहस्र जीवन–वंदे मातरम् अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम्।

बंकिम दा के इस गीत ने अंग्रेजों को हिला दिया। गीत की ताकत ही थी कि अंग्रेजों को उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बारीसाल में वंदे मातरम् गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो बारीसाल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है। तब बारीसाल की वीरांगना सरोजिनी बोस, जिन्होंने कहा था–जब तक प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां निकाल दूंगी।

अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने 1905 में यह पाप किया, तो वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा। उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में– जाए जाबे जीवोनो चोले, जाए जाबे जीवोनो चोले, जोगोतो माझे तोमार कांधे वंदे मातरम् बोले अर्थात हे माँ संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम् कहते जीवन भी चला जाए, तो वह जीवन भी धन्य है।

हमारे जांबाज सपूत देश की आजादी के लिए बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे। आखिरी सांस तक 'वंदे मातरम्' उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास अनगिनत ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने वंदे मातरम् कहते–कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इन सबका मंत्र एक ही था, वंदे मातरम्।

वंदे मातरम् ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया से लेकर बड़े–बड़े शिप पर भी वंदे मातरम् लिखने की परंपरा बन गई थी। बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम और स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। 1907 में जब वी ओ चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी कंपनी का जहाज बनाया, तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम्। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम् का तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। भारत का ध्वज गीत वी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत के वर्णन में वंदे मातरम् लिखा हुआ था।

किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा, जब चुनौतियों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती हैं। 1947 में देश आजाद हुआ तो चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदलीं, लेकिन देश का चरित्र वही रहा। भारत पर जब–जब संकट आए, देश हर

बार वंदे मातरम् की भावना के साथ आगे बढ़ा। हर संकट में देश वंदे मातरम् के भाव के साथ खड़ा हुआ, चुनौतियों को परास्त कर आगे बढ़ा है।

हमारा देश राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी उत्सव की कड़ी में केंद्र सरकार ने अब राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान और उचित शिष्टाचार का पालन करने को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निर्देश शामिल हैं। जब भी राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्र गीत पहले गाएं। राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर आधिकारिक राष्ट्र गीत अनिवार्य हैं। हम राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरे गाएं

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्र गीत 'बंदे मातरम्' के गायन को लेकर आधिकारिक प्रोटोकॉल स्थापित करने वाले भारत सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश में बताया गया है कि सरकारी समारोहों में इसे कैसे और कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नागरिकों से अपेक्षित आचरण, राष्ट्र गीत गाने या बजाने के तरीके के साथ उसकी समयावधि की भी जानकारी दी गई।

अवधिः राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरे गाएं। राष्ट्र गीत को गाने अथवा बजाने का समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

राष्ट्र गीत पहलेः एक जरूरी बात यह है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्र गीत पहले गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद 'राष्ट्रगान'।

सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूटः जब कभी राष्ट्र गीत का गायन या वादन हो तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। लेकिन समाचार या किसी वृत चित्र के दौरान राष्ट्र गीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं हैं। दर्शकों के खड़े होने से राष्ट्र गीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ेगी। अशांति या गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

दिशानिर्देशों में की गई है यह अनुशंसाः जब वंदे मातरम् का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रगीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमतिः जिन अवसरों पर राष्ट्र गीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण सूची देना संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्र गीत को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ–साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए। गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के बोल इस प्रकार हैं...

वंदे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम,
शस्यश्यामलाम् मातरम। वंदे मातरम।
शुभज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम,
फुल्लकुसुमित दुमदलशोभिनीम,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वंदे मातरम्।
कोटि–कोटि कण्ठ कल–कल निनाद कराले,
कोटि–कोटि भुजैधृत खरकरवाले,
के बॉले मां तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वंदे मातरम्।
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मां शक्ति,
हृदये तुमि मां भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गडि
मंदिरे–मंदिरे। वंदे मातरम्।
त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी,
नमामि त्वाम, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम,
सुजलाम् सुफलाम् मातरम। वन्दे मातरम्।
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम,
धरणीम् भरणीम् मातरम। वंदे मातरम्।

विद्यालयों में सहगानः सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्र गीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्रबंधन को छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

राष्ट्र गीत का वादनः राष्ट्र गीत का आधिकारिक संस्करण, निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाएगा

- सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर।
- औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय ।
- आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में।
- राज्यपाल/उपराज्यपाल के अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय।
- जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए।
- किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्र गीत बजाया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

सिविल सेवाएँ : महत्व, इतिहास एवं मिसाल

गीता अरोड़ा*

भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र के तीन बहुत ही चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक–दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र के ये स्तंभ, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक समाज की नींव हैं। प्रत्येक स्तंभ की अपनी विशिष्ट भूमिका है: विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने के साथ–साथ न्याय एवं संवैधानिक अखंडता सुनिश्चित करती है। लोकतंत्र का एक और महत्वूपर्ण स्तंभ है मीडिया, जो जनता को सूचित करता है एवं सत्ता को जवाबदेह ठहराता है। मीडिया को अक्सर 'लोकतंत्र का प्रहरी' कहा जाता है। मीडिया से तात्पर्य संचार के सभी माध्यमों से है– अखबार, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, समाचार वेबसाइटें, पॉडकास्ट और ब्लॉग–जो सूचना प्रदान करते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। यह लोगों को सूचित करके, सत्ता को जवाबदेह ठहराकर और सार्वजनिक चर्चा को सक्षम बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक–दूसरे पर आश्रित हैं, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति–निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते हैं। भारतीय कार्यपालिका को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। यह विभाजन लोकतांत्रिक जवाबदेही और प्रशासनिक निरंतरता के बीच संतुलन बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन कार्यान्वयन तंत्र स्थिर बना रहता है। राजनीतिक कार्यपालिका में निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे सार्वजनिक जनादेश और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। इसके विपरीत, स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक शामिल होते हैं जो सत्ता में किसी भी राजनीतिक दल के होने की परवाह किए बिना इन नीतियों को लागू करते हैं। इस प्रकार, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं जबकि जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।

भारत की सिविल सेवाएँ स्थायी कार्यपालिका का गठन करती हैं और इन्हें अक्सर 'स्टील फ्रेम' के रूप में वर्णित किया जाता है जो राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद प्रशासनिक निरंतरता प्रदान करता है। इस संरचना में शामिल हैं: अखिल भारतीय सेवाएं – इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) शामिल हैं, केंद्रीय सेवाएं – जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, आदि तथा राज्य सेवाएं – विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए अलग–अलग राज्यों द्वारा प्रशासित। इन सेवाओं में भर्ती मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)

*वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। सिविल सेवा के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं' नीति कार्यान्वयन – राजनीतिक निर्णयों को व्यावहारिक कार्यक्रमों में परिवर्तित करना, नीति निर्माण – प्रभावी नीतियां बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रशासनिक निरंतरता – राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद सुचारू शासन सुनिश्चित करना, और संकट प्रबंधन – आपात स्थितियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटना। ये सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। ये एक निश्चित अवधि के लिए राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करते हैं और निचले स्तर पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। ये अपने विभागों और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ताकि उन्हें अन्य मंत्रालयों के विभागों में चल रही गतिविधियों की जानकारी रहे। स्थायी कार्यपालिका अन्य मंत्रालयों और अपने विभाग के बीच बेहतर संचार को सुगम बनाते हैं ताकि वे उनके बीच संपर्क सूत्र का काम कर सकें। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध सहजीवी होते हैं , फिर भी कभी–कभी तनावपूर्ण भी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका लोकतांत्रिक वैधता और दूरदर्शिता प्रदान करती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका विशेषज्ञता और कार्यान्वयन क्षमता का योगदान देती है। राजनीतिक दिशा–निर्देश और प्रशासनिक तटस्थता के बीच संतुलन बनाए रखना भारत की शासन व्यवस्था में एक निरंतर चुनौती बनी हुई है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्पर्धी, कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा में बैठने के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भरते हैं परंतु उनमें से लगभग आधे प्रारंभिक परीक्षा में भी नहीं बैठते हैं। जो बैठते हैं उनमें से केवल 2 – 3 प्रतिशत अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता प्राप्त कर पाते हैं। इनमें से 15–20 प्रतिशत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए सफल हो पाते हैं और अंततः उनमें से एक तिहाई अभ्यर्थी ही विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2024 में यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,83,213 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। इनमें कुल 14,627 उम्मीदवार सितंबर 2024 में आयोजित लिखित (मुख्य) परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता प्राप्त कर पाए। इनमें से 2,845 अभ्यर्थी परीक्षा के इंटरव्यू के दौर में पहुंचने में सफल रहे। आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 1009 अभ्यर्थियों (725 पुरुष और 284 महिलाएं) की ही अनुशंसा की गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे और भर्ती प्रक्रिया के उपरांत उनमें से केवल 1016 अभ्यर्थियों की भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) शामिल हैं, तथा केंद्रीय सेवाओं जैसे कि भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, आदि पर नियुक्ति की सिफारिश की गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की जड़ें ब्रिटिश काल में निहित हैं, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हुई, जिसे तब इंपीरियल सिविल सर्विस (आईसीएस) कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 'भारतीय सिविल सेवा का जनक' माना जाता है, जिन्होंने इसे पुनर्गठित किया। स्वतंत्रता के बाद, 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल द्वारा प्रथम बैच को संबोधित करने के बाद यह आधुनिक आईएएस बनी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से जुड़े प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यः

- 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद, 1854 में मैकाले समिति ने परीक्षा प्रणाली और नियम निर्धारित किए, जिसके बाद 1855 में लंदन में पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा हुई।
- 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की।

- स्वतंत्र भारत में इसे 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 'भारत के इस्पाती ढांचे' (Steel Frame of India) के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।
- स्वतंत्रता के बाद, संविधान के अनुच्छेद 315–322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई।

महत्वपूर्ण जानकारी: भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस' मनाया जाता है। आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण मसूरी (उत्तराखण्ड) स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं की प्रमुख प्रशासनिक शाखा है। आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के साथ तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इन तीनों सेवाओं के सदस्य भारत सरकार के साथ–साथ अलग–अलग राज्यों की सेवा करते हैं। आईएएस अधिकारियों को विभिन्न सरकारी संवैधानिक निकायों, सहायक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नियामक निकायों, वैधानिक निकायों और स्वायत्त निकायों में भी तैनात किया जाता है।

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, देश को प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी। औपनिवेशिक काल की भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य केंद्रीय सेवाओं की स्थापना की गई। इन सेवाओं को प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ के रूप में तैयार किया गया था, ताकि नीतियों का कार्यान्वयन और कानून–व्यवस्था का रखरखाव सुनिश्चित हो सके।

सरदार पटेल का सिविल सेवाओं के लिए दृष्टिकोण

भारत के संस्थापकों में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल ने सिविल सेवाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक एकीकृत और कुशल प्रशासनिक संरचना की कल्पना की जो राष्ट्र को एकजुट रखेगी। पटेल का मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सिविल सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी दूरदृष्टि ने योग्यता आधारित और राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवा की नींव रखी।

'संघ लोक सेवा आयोग' (यूपीएससी) द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। प्रत्येक साल कोई ना कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। यह सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) सहित कुल 24 सेवाओं में नियुक्त किए जाते हैं। किसी सफल अभ्यर्थी को कौन–सी सेवा मिलेगी, यह उसके द्वारा प्राप्त की गई रैंक पर निर्भर करता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन, विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन तथा विदेशों में अपनी सेवाएँ देते हैं। इन सेवाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए प्रतिवर्ष लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं और सिविल सेवक बनने के अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

मिसाल

आईएएस, आईपीएस अधिकारियों वाले उत्तर प्रदेश के तीन गाँव

किसी गांव और परिवार में एक भी प्रशासनिक अधिकारी हो जाने पर पूरे क्षेत्र के लिए यह गर्व और सम्मान का विषय हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई गांव और परिवार ऐसे हैं जहाँ के लगभग प्रत्येक परिवार में आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का माधोपट्टी गांव, प्रतापगढ़ जिले का इटौरी गांव और संभल जिले के औरंगपुर सिलैटा गांव का नाम इसी कड़ी में आता है। जौनपुर जिले का माधोपट्टी गांव तो आईएएस/पीसीएस अधिकारियों के गांव के नाम से ही मशहूर है। इस गांव के प्रत्येक घर में कम से कम एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी मिल जाएगा। जौनपुर जिले के माधोपट्टी गांव में कुल करीब 75 घर हैं, जिसमें से 47 घर में आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, बताते हैं कि इस गांव से पहले आईएएस 1952 में इंदू प्रकाश सिंह बने थे, जिन्होंने 1951 में सिविल सेवा परीक्षा में

दूसरी रैंक हासिल की और आईएफएस अधिकारी बने। वह फ्रांस सहित करीब 16 देशों में भारत के राजदूत भी रहे। उन्हीं के भाई विद्या प्रकाश सिंह भी 1953 में आईएएस अधिकारी बने। तभी से यह सिलसिला चलता आ रहा है।

माधोपट्टी के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसी गाँव के एक परिवार के चार भाइयों ने आईएएस की परीक्षा पास कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। 1955 में परिवार के बड़े बेटे विनय ने देश की इस सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा में 13वां स्थान हासिल किया था और बाद में वह बिहार के मुख्य सचिव होकर रिटायर हुए। इसके बाद उनके दोनों भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह ने 1964 में ये परीक्षा पास की। इसके बाद इन्हीं के छोटे भाई शशिकांत सिंह ने 1968 में यूपीएससी परीक्षा पास कर कीर्तिमान स्थापित किया।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का छोटा सा गांव इटौरी भी देश को सिविल सेवा अधिकारी देने में बड़ा नाम रखता है. इस गांव के एक ही परिवार के चार सगे भाई–बहन आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं. इनमें तीन आईएएस और 1 आईपीएस हैं। ये ऑफिसर गांव के पेशे से बैंक मैनेजर अनिल मिश्र के बेटे और बेटियां हैं। इसमें दो बेटे और दो बेटियां हैं।

सबसे बड़ी बेटी क्षमा मिश्र, दूसरे नंबर पर योगेश, तीसरे नंबर बेटी माधवी और चौथे नंबर पर लोकेश मिश्र हैं। सबसे पहले योगेश ने 2013 में यूपीएससी सिविल परीक्षा पास की आईएएस बने, जिसके बाद 2015 में माधवी मिश्र भी आईएएस बनीं। वहीं जून 2016 में क्षमा मिश्र का आईपीएस में चयन हो गया, जबकि सबसे छोटे बेटे लोकेश भी आईएएस बन गए।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले का एक गांव है औरंगपुर सिलैटा। इस गांव ने अब तक करीब 31 आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं। औरंगपुर सिलैटा गांव की आबादी करीब तीन हजार है। आजादी से पहले इस गांव के हरबख्श सिंह पीसीएस अधिकारी बने थे। इसके बाद से अब तक कुल 31 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं। इस गांव का शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो। तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में 12 शिक्षण संस्थान हैं– एक इंटर कॉलेज, दो जूनियर हाईस्कूल और दो प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अलावा गांव में एक मदरसा भी है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास करने वाले सफल अभ्यर्थी

पिछले कुछ वर्षों के घोषित हुए परिणामों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि अन्य माध्यमों की अपेक्षा अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की सफलता का अनुपात कहीं अधिक है। अंग्रेजी माध्यम की तुलना में अन्य माध्यमों से परीक्षा देने वाले सफल अभ्यर्थियों की संख्या अत्यंत कम देखी जा रही है। ऐसे में, अंग्रेजी माध्यम से इतर अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल गिरने लगता है, मगर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र होता है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का भी है और प्रतिवर्ष हिंदी माध्यम के भी कुछ अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। हिन्दी माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों में रवि कुमार सिहाग, सुनील कुमार धनवंता, गौरव बुडानिया, गंगा सिंह राजपुरोहित, निशांत कुमार जैन और गौरव कुमार सिंघल प्रमुख हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी लिखी है।

हिन्दी माध्यम से सफल टॉपर्स और उनकी प्रमुख उपलब्धियांः i) रवि कुमार सिहाग (यूपीएससी 2021)ः इन्होने 18वीं रैंक हासिल की और हिंदी माध्यम से उस वर्ष के टॉपर रहे। ii) सुनील कुमार धनवंता (यूपीएससी 2021)ः 22वीं रैंक हासिल कर हिंदी माध्यम से शीर्ष उम्मीदवारों में शामिल हुए। iii) गौरव बुडानिया (यूपीएससी 2020)ः राजस्थान के चुरू से और आईआईटी–बीएचयू से शिक्षित, इन्होने 13वीं रैंक के साथ आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की। iv) गंगा सिंह राजपुरोहित (यूपीएससी 2016)ः इन्होने 33वीं रैंक प्राप्त की, उनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। v) निशांत कुमार जैन (यूपीएससी 2014)ः 13वीं रैंक हासिल कर हिंदी माध्यम से टॉपर बने। vi) गौरव कुमार सिंघल (यूपीएससी 2016)ः 31वीं रैंक के साथ आईएएस परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की।

21 की उम्र में शादी, गोद में बच्चा और हाथ में किताबें, पिता के सपने के लिए बिना कोचिंग बनीं आईएएस

देश में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि, जब कोई महिला शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और माँ बनने के बाद आईएएस का सफर तय करती है तो उसकी कहानी प्रेरणादायक बन जाती है। ऐसी ही मिसाल हैं मिन्नू पीएम जोशी। 21 की उम्र में शादी, मां बनने की जिम्मेदारी और अन्य चुनौतियों के बीच उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया था। कोचिंग के बिना ही उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनीं। सफलता की इस कहानी में जानते हैं कैसे उनकी सफलता लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी है।

मिन्नू पीएम जोशी केरल के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता राज्य पुलिस में अधिकारी थे और वह चाहते थे कि उनकी बेटी एक दिन सिविल सेवा में जाकर उनका नाम रोशन करे। हालांकि, ड्यूटी के दौरान उनके पिता निधन हो गया था। इस हादसे ने मिन्नू को सदमा दिया लेकिन उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वह उनके सपने को जरूर पूरा करेंगी।

मिन्नू की शादी 21 की उम्र में हो गई थी। हालांकि, 2012 में उन्हें अपने पिता की जगह पुलिस विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। नौकरी के साथ–साथ वह घर भी देखती थीं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स की पढ़ाई की है। वह नौकरी एवं परिवार के साथ–साथ मातृत्व जिम्मेदारी निभा रही थीं लेकिन अपने पिता का सपना नहीं भूली थीं। परिवार और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच यूपीएससी की तैयारी में चुनौतियां थीं लेकिन उनके हाथों ने किताबें उठाकर यूपीएससी का लक्ष्य साध लिया था। यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए जहाँ लोग महंगी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहीं मिन्नू ने कोचिंग को न कह दिया। 2015 से खूब मेहनत से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बगैर कोचिंग के पास किए। 32 की उम्र में 150वीं रैंक लाने के बाद उन्हें आईएएस की पोस्टिंग मिली। मिन्नू के पति इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) में अधिकारी हैं। उन्होंने भी इस सफर में पूरा सहयोग किया। आईएएस मिन्नू पीएम जोशी की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को छोड़ देती हैं। उनकी सफलता सिखाती है कि हालात चाहें जैसे हों, अगर हौसला मजबूत है तो जो आप सोच सकते हैं, उसे पा सकते हैं।

9 घंटे की प्राइवेट जॉब करते हुए आईएएस बन सकते हैं, मेरठ और बिहार की बेटियों ने यह साबित किया।

i) ***लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।*** इस प्रसिद्ध कविता की ये लाइनें मेरठ की बेटी काजल जावला पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने यूपीएससी के लिए अपनी कोशिशों में 4 बार फेल होने के बाद भी लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा। जॉब करते–करते तैयारी करना आसान काम नहीं था लेकिन काजल ने दोनों को बैलेंस किया। ऑफिस में 9 घंटे काम और रास्ते में आने–जाने के दौरान कैब में पढ़ाई करके आगे बढ़ीं। अपने 5वें प्रयास में उनका सपना पूरा हुआ और वह 23 लाख की नौकरी छोड़कर आईएएस बनी थीं। सफलता की इस कहानी में उनका सफर देखते हैं जो बताता है कि जुनून और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।

एक इंटरव्यू में काजल बताती हैं कि मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की है। बचपन से वह डॉक्टर बनना चाहती थीं लेकिन उस समय लोग उन्हें सिविल सर्विस के लिए बोलते थे। हालांकि, उन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं था और 2010 में वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मथुरा चली गईं। यहां के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बी.टेक किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें एक कंपनी में अच्छे सैलरी पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। हालांकि, उनके पिता चाहते थे कि बेटी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करे और देश की सेवा करे। पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2012 में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

जॉब करते–करते काजल की शादी भी हो गई थी लेकिन वह यूपीएससी के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ती रहीं। शादी के बाद उन्हें अपने पति का भी साथ मिला। 9 घंटे

की जॉब के साथ उन्होंने तैयारी बैलेंस की। उनके घर से ऑफिस (दिल्ली से गुरुग्राम) तक जाने में लगभग 2 घंटा लग जाता था। ऐसे में समय बचाने के लिए वह कैब से आते–जाते समय रास्ते में पढ़ाई करती थीं। सप्ताहंत पर पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देती थीं और इस दौरान पति और उनके पिता उनका उत्साहवर्धन करते थे।

काजल ने 2012 में यूपीएससी के लिए पहला प्रयास किया था और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत से सहपाठियों को तैयारी करते और परीक्षा देते हुए देखा था। तब उन्हें समझ आया और वह आगे बढ़ती रहीं। 2014 के प्रयास में भी उन्हें असफलता मिली थी। 2016 में शादी होने के बाद एक और प्रयास किया और इस बार भी वह फेल हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। हालांकि, 2017 में चौथी बार भी उन्हें असफलता ही मिली लेकिन वह रुकी नहीं। 2018 में अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 28वीं रैंक हासिल करते हुए पास की थी। हालांकि, तब तक उन्हें अपनी जॉब में अच्छा–खासा अनुभव हो चुका था और उस समय उनकी सैलरी लगभग 23 लाख रुपये थी। यूपीएससी में सफलता के बाद आईएएस बनने के लिए उन्होंने अपने हाई सैलरी पैकेज की जॉब छोड़ दी थी। काजल मध्य प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। उनकी यह सफलता लाखों युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला देती है जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं।

ii) आईएएस का रुतबा, सम्मान और देश सेवा... इन चीजों की वजह से लाखों युवा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं। यूपीएससी परीक्षा को लेकर यह सोच बन गई है कि इसे क्रैक करना है तो बाकी जिंदगी भूलनी होगी, रोजाना 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन बिहार की बेटी श्वेता भारती ने इस सोच को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने रोजाना 9 घंटे की प्राइवेट जॉब के साथ न सिर्फ यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, बल्कि आईएएस बनीं। श्वेता की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए उदाहरण है जो प्राइवेट जॉब के चलते सिविल सेवा में जाने का सपना छोड़ देते हैं।

श्वेता भारती, बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली हैं। साधारण परिवार से आने वाली श्वेता की स्कूलिंग पटना के ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में करियर बनाने की ठानी। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशनंस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंजीनियरिंग करने के बाद, श्वेता दुविधा में थीं। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ सिविल सेवा में जाने का सपना। उस वक्त उन्होंने सबसे कठिन फैसला लिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने विप्रो की नौकरी चुनी ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें, लेकिन सिविल सेवा में जाने का सपना भी नहीं छोड़ा।

दृढ़ संकल्प और हार न मानने की जिद ही थी जिसने श्वेता को अपना सपना पूरा करने का हौसला दिया। वह दिन में 9 घंटे की प्राइवेट जॉब और रात में घर आकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करती थीं। हालांकि जॉब के साथ तैयारी के लिए टाइम निकालना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। संघर्ष के बादल छंटे और कामयाबी की सुबह हुई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में श्वेता भारती ने 356वीं रैंक हासिल की। नालंदा जिले के छोटे से गांव से आने वाली श्वेता अब एक आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल की थी। वर्तमान में आईएएस श्वेता गृह राज्य के भागलपुर में असिस्टेंट कलेक्टर पद पर तैनात हैं। प्राइवेट जॉब के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। लेकिन श्वेता के एक गोल्डन रूल ने उनकी काफी मदद की, वो था– सोशल मीडिया से दूरी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन वॉट्सएप ग्रुप्स से दूरी बना ली थी। कुछ समय के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया। इससे जो समय मिला वो तैयारी में लगा दिया।

आईएएस काजल जावला और आईएएस श्वेता की ये सफलताएँ दृढ़ निश्चय, हार न मानने की जिद एवं संघर्ष की अद्भुत मिसाल हैं और उन लाखों युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

कहानी

छुट्टी का दिन

शशिभूषण द्विवेदी*

प्रसिद्ध साहित्यकार शशिभूषण द्विवेदी द्वारा लिखित 'छुट्टी का दिन' एक मर्मस्पर्शी हिंदी कहानी है जो महानगरीय जीवन की मध्यमवर्गीय हताशा, उपभोक्तावाद और कामकाजी दिनचर्या के बाद रविवार (छुट्टी) के दिन की वास्तविकता को चित्रित करती है। यह कहानी खरीदारी के बहाने मॉल जाने और अपनी इच्छाओं व विवशताओं के बीच संतुलन खोजने के बारे में है।

पूरा हफ़्ता बीत जाता है छुट्टी के दिन का इंतिज़ार करते और जब छुट्टी का दिन आता है तो मन और भी आतंकित हो जाता है। पूरा दिन एक ऊब और बेचैनी के साथ कैसे कटेगा–सोचते ही मन और भी झल्ला उठता है। छुट्टी के दिन की दिनचर्या भी अजीब होती है। देर तक सोने की इच्छा के बावजूद नींद लगभग समय पर ही खुलती है। कुनमुनाया, अलसाया... थोड़ी देर और सो लेने की कोशिश में थोड़ा सा वक्त और जाया हो जाता है। आखिर न चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। हाथ–मुँह धोकर ट्रैक सूट पहनता हूँ। देखता हूँ पत्नी अभी तक मिट्टी के लोंदे की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी है। उसे पता है कि आज छुट्टी का दिन है सो वह आज देर तक सोएगी। मन करता है कि उसके फैले हुए नितंबों पर ज़ोर से हाथ मारूँ मगर फिर खुद को सँभाल लेता हूँ। जानता हूँ कि अब चाहे अनचाहे सारा दिन इसी के साथ गुज़ारना है सो सुबह–सुबह उसे चूमने में ही भलाई है। मैं उसे चूमता हूँ लेकिन सुबह–सुबह उसके मुँह की बास मेरे भीतर एक अजीब तरह की मितली पैदा कर देती है। मन करता है कि उसकी बिखरी हुई देह पर उल्टी कर दूँ लेकिन कर नहीं पाता। बहुत सी चीज़ें हम चाहकर भी नहीं कर पाते। जैसे हम चाहकर भी महँगाई को नहीं रोक पाते। हाँ, महँगाई से याद आया–दो महीने हो गए बिजली का बिल जमा किए। इस महीने जमा न किया तो कनेक्शन ही कट जाएगा। सोचा था इस छुट्टी में करा ही दूँगा, हर बार टल जाता है। हालाँकि बिजली पानी का बिल जमा कराना भी किसी सिरदर्द से कम नहीं। छुट्टी वाले दिन वैसे भी आधे ही दिन बिल जमा होते हैं। फिर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूछो मत। समझिए कि आधा दिन तो इसी में गया। मैं घड़ी देखता हूँ। सुबह के सात बज रहे हैं। मैं पत्नी को घर में सोता छोड़कर बाहर घूमने निकल जाता हूँ। सुबह घूमने के बहाने एक पंथ दो काज हो जाते हैं। दरअसल घर ख़र्च कम करने की कवायद में दो तीन महीने पहले पत्नी ने घर आने वाला अख़बार बंद करा दिया। पत्नी को लगता है कि अख़बार ख़रीदना फ़िज़ूलख़र्ची है और अख़बार पढ़ना समय की बर्बादी। आखिर होता ही क्या है अख़बारों में आजकल–वही रोज़ की बासी ख़बरें–चोरी, छिनैती, बलात्कार, घोटाले...। लेकिन सुबह–सुबह अख़बार पढ़ने की अपनी बरसों पुरानी आदत मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाया। सुबह–सुबह अख़बार न पढ़ो तो लगता है कि दिन की ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई। पहले मैं सुबह–सुबह बाथरूम में अख़बार लेकर घुस जाता था और नित्यकर्म करते हुए पूरा अख़बार चाट लेता था। फिर तर–ओ–ताज़ा होकर बाहर आता था। तब तक पत्नी भी चाय बनाकर ले आती थी और हम इत्मीनान से चाय पीते थे। लेकिन अब वे सब बीते दिनों की बातें हो गईं। अब तो सुबह टहलने के बहाने चाय की दुकान पर खड़े–खड़े ही अख़बार भी पढ़ लेता हूँ। हालाँकि शुरू–शुरू में ख़ाली–पीली अख़बार पढ़ने पर चायवाला भी मुझे बहुत तिरस्कारपूर्ण नज़रों से घूरता था और बार–बार आकर पूछ जाता था कि साहब चाय चलेगी। मेरे मना करने पर वह बुरा–सा मुँह बना लेता। कभी–कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने सीधे–सीधे मुझसे कह दिया कि साहब गाहकों को बैठने दीजिए। धंधे का टाइम है। आपका क्या है, आप तो मुफ्त में अख़बार पढ़कर चले जाएँगे। धंधा तो हमारा खोटा होगा। उसकी ऐसी बातों का मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। इस बुरे लगने के चलते ही अब कभी–कभी मैं उसे हाफ चाय या सिगरेट का आर्डर दे देता हूँ और बदले में वह मुझे चुपचाप अख़बार पढ़ने देता है। हालाँकि हाफ कप चाय के बदले घंटे भर उसे मेरा अख़बार पढ़ना अब भी अखरता है लेकिन बेशर्मी से मैंने अब उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है।

चाय की दुकान पर सबसे पहले मैं अपना राशिफल देखता हूँ, फिर मौसम का हाल। राशिफल में लिखा

---

* प्रसिद्ध साहित्यकार

है कि आज कोई शुभ सूचना मिलेगी और धनोपार्जन होगा। मैं सोचता हूँ कि आज महीने की बीसवीं तारीख़ है। धनोपार्जन की तो कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आती बल्कि ख़र्च ही ख़र्च होना है। यही हाल मौसम के हाल का है। उसमें लिखा है आसमान साफ़ रहेगा लेकिन कहीं–कहीं हल्की बूँदाबाँदी हो सकती है। मगर यहाँ तो सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। अख़बार में और भी तमाम ख़बरें हैं–मसलन पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीज़ल के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी के संकेत दिए हैं और कृषि मंत्री का कहना है कि महँगाई रोकने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकारों को दोष दे रहा है और राज्य सरकारें केंद्र को कोस रही हैं। बयान, बयान और बयान। पूरा अख़बार नेताओं और मंत्रियों की बयानबाज़ी से अटा पड़ा है। मैं सिगरेट के साथ हाफ़ चाय सुड़ककर अख़बार रख देता हूँ और सोचता हूँ अब सिगरेट भी छोड़ ही देनी चाहिए। सेहत और ख़र्च दोनों लिहाज़ से यह एक अच्छा विचार है। हालाँकि यह अच्छा विचार इससे पहले भी मुझे सैकड़ों बार आया है लेकिन उस पर अमल करने का विचार रोज़ अगले दिन के लिए टल जाता है।

मैं देखता हूँ घड़ी में आठ बज रहे हैं और आसमान में बादल घने हो रहे हैं। मुझे जल्द ही नहा–धोकर बिजलीघर जाना होगा वरना बारिश से सब गुड़ गोबर हो सकता है। मैं तेज़ क़दमों से घर की ओर लौट पड़ता हूँ। घर में पत्नी रसोई में उठापटक कर रही है। यह उसकी रोज़ की खीझ है जो रसोई में बर्तनों पर निकलती है जिसे मैं रोज़ की तरह ही सुनकर अनसुना कर देता हूँ। लेकिन तभी उसकी खीझभरी आवाज़ आती है– 'गैस ख़त्म हो गई है। कितने दिन से कह रही थी बुक करवा दो... लेकिन कोई सुने तब न...'

'गैस के दाम भी बढ़ गए हैं।' मैं कहता हूँ।

'तो?'

'तो... तो कुछ नहीं। आज बिजलीघर जाना है बिल जमा कराने।'

'पहले गैस का कुछ इंतिज़ाम करो।'

मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता हूँ। पत्नी की बड़बड़ाहट नल के पानी के शोर में गुम हो जाती है। मेरे नहाकर बाथरूम से बाहर आने तक पत्नी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं गुनगुनाने लगता हूँ– गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी...। लेकिन पत्नी मुझे अनसुना करते हुए बड़बड़ा रही है जैसे मैं उसे अनसुना करते हुए गुनगुना रहा हूँ।

'सिलेंडर झुकाकर थोड़ी–सी गैस निकल आई लेकिन जैसे भी हो दोपहर तक कहीं से भी गैस का बंद–ओ–बस्त करो वरना खाना भी नहीं बन पाएगा। कितनी बार कहा कि दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो। कभी अचानक गैस ख़त्म हो जाए तो ये दिन तो न देखना पड़े... मगर सुनता कौन है...'

''अब ठीक है... बिजलीघर जाते हुए बुक करवाता आऊँगा।'

'बुक वुक नहीं... गैस आज ही आनी चाहिए और अभी।' मैं कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर घर से निकल पड़ता हूँ। दस बज गए हैं। बाहर हल्की बूँदाबाँदी शुरू हो गई है। शुक्र है कि मौसम को देखते हुए छतरी साथ लेता आया था। बिजलीघर पहुँचते–पहुँचते बारिश और भी तेज़ हो गई लेकिन बिल जमा कराने वालों की लाइन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल काउंटर के पास कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बारिश की फुहारों से बचने के लिए लोग ठेलमठेल मचाए हैं। लाइन इतनी लंबी है कि लगता नहीं कि दो घंटे बाद भी मेरा नंबर आ पाएगा। काउंटर क्लर्क इतना सुस्त है कि एक एक आदमी पर दस दस मिनट लगा रहा है। लोग कुनमुना रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की काहिली को कोस रहे हैं। बीच बीच में कोई काउंटर क्लर्क का जान पहचान वाला आ जाता है तो उसका काम आउट आफ वे जाकर भी हो जाता है जिससे लाइन में लगे लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। हालाँकि इस हल्ले का कोई असर नहीं होता। बस लोग बड़बड़ाते रहते हैं और जान पहचान वाले या दबंग लोग लाइन को धकियाकर अपना काम करा ले जाते हैं। मैंने घड़ी देखी साढ़े ग्यारह होने को आए। अब भी पाँच–सात लोग लाइन में हैं। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। लगता नहीं कि आज मेरा नंबर आ पाएगा। एक एक पल भारी होता जा रहा है। ग्यारह बजकर पचास मिनट हो गए हैं। दो लोग अब भी मेरे आगे हैं। मैं हड़बड़ी में हूँ– भइया ज़रा जल्दी करो। काउंटर क्लर्क घुड़कर मेरी ओर देखता है। उसकी घुड़की में एक हिक़ारत है।

'काम ही कर रहा हूँ। कोई मक्खी तो मार नहीं रहा।' जानता हूँ कि क्लर्क से बहस करने का कोई मतलब नहीं, वरना अभी काउंटर बंद कर देगा। बहरहाल, मेरा

नंबर आखिरकार आ ही गया। घड़ी में अभी बारह बजने में पाँच मिनट बाक़ी हैं। मैं जैसे ही बिल की रसीद उसकी ओर बढ़ाता हूँ, वह पेशाब का बहाना करके उठ जाता है। मैं उसकी इस हरकत पर खीझ उठता हूँ पर कुछ कह नहीं पाता। पाँच मिनट बाद क्लर्क लघुशंका से निपटकर लौटता है और ऐलान कर देता है कि टाइम ख़त्म हो गया है, अब कल आना। मेरा दिल धक से रह जाता है। दो घंटे की मेहनत पर पानी फिरता नज़र आता है। अब मैं याचना की मुद्रा में आ गया हूँ।

'दो घंटे से खड़ा हूँ सर... प्लीज़ जमा कर लीजिए बिल... वरना...'

'वरना क्या? हम भी दो घंटे से काम ही कर रहे हैं, कोई झख तो नहीं मार रहे। इतनी ही जल्दी थी तो समय पर क्यों नहीं आए?'

'प्लीज़ सर... बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ... मेहरबानी होगी...' मेरे चेहरे पर जाने कैसा तो दीनता का भाव है कि क्लर्क थोड़ा पसीजने लगता है।

'अच्छा लाओ... लेकिन बाक़ी सब कल आएँ।' मेरी जान में थोड़ी जान आती है। आखिरकार मेरा बिल जमा हो जाता है मगर पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है– प्लीज़ सर... प्लीज़ सर... लेकिन तब तक खिड़की बड़ी बेरहमी से बंद हो जाती है। मैं खुश हूँ कि आखिरकार मेरा बिल जमा हो गया। मुझमें एक विजेता का सा भाव घर करने लगता है।

बाहर बारिश और भी तेज़ हो गई है। घड़ी साढ़े बारह बजा रही है। अब मुझे फ़ौरन गैस स्टेशन की ओर भागना होगा वरना घर में खाना नहीं बनेगा। गैस स्टेशन पहुँचते–पहुँचते एक डेढ़ बज जाते हैं मगर बारिश थमने का नाम नहीं लेती। मैं लगभग आधे से ज्यादा भीग चुका हूँ। स्टेशन पहुँचने पर पता चलता है कि आज तो छुट्‌टी का दिन है। 'हे भगवान, अब क्या होगा?' मेरे हाथ–पाँव फूलने लगते हैं। मैं आस–पास लोगों से पूछता हूँ। रिरियाता हूँ। घर में गैस ख़त्म होने का हवाला देता हूँ। मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। घर में पत्नी भी भूखी होगी, मैं सोचता हूँ। तभी बीड़ी का सुट्‌टा लगाता हुआ एक दलाल टाइप आदमी मेरे पास आता है। वह घूरकर एक नज़र मेरी ओर देखता है।

'गैस चाहिए?'

'हाँ।'

'ब्लैक में मिलेगा। तीस परसेंट एक्स्ट्रा।'

'ये तो बहुत ज़्यादा है। कुछ कम में नहीं होगा?'

'लेना है तो बोलो वरना रास्ता नापो।' मुझे पत्नी का खीझ और हताशा से भरा चेहरा याद आ जाता है। मैं फ़ौरन हाँ कह देता हूँ।

'कितना लगेगा?'

'सात सौ रुपए।' मैं पर्स टटोलता हूँ। पर्स में सिर्फ़ पाँच सौ रुपए हैं। मैं पाँच सौ रुपए उसे सौंप देता हूँ।

'सिलेंडर घर पहुँचाओ। बाक़ी के पैसे घर पर दूँगा।'

'सिलेंडर घर पहुँचाने के पचास रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे।' वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। मैं कहता हूँ–'ये तो ज़्यादती है।'

'ज्यादती वादती कुछ नहीं। एक तो छुट्‌टी का दिन, ऊपर से मौसम देख रहे हैं।' मैं झल्लाता हूँ मगर कुछ नहीं कर पाता। फ़ौरन सिलेंडर घर पहुँचाने को कहकर उसके साथ चल देता हूँ। घड़ी में दो बज रहे हैं। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालाँकि गैस मिल जाने से मेरे भीतर एक सुकून–सा आ गया है। अब बारिश से भीगी मिट्‌टी की सोंधी गंध मुझे अच्छी लगने लगी है।

सिलेंडर के साथ जैसे–तैसे मैं घर पहुँचता हूँ। ढाई बज चुके हैं। पत्नी का पारा सातवें आसमान पर है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता और गैस वाले का बक़ाया भुगतान कर उसे रवाना कर देता हूँ। पत्नी भी बिना मुझसे कुछ कहे सिलेंडर रसोई में रखवा लेती है और खाना बनाने में जुट जाती है। कुकर की सीटी और खाने की ख़ुशबू से मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। इस बीच मैं रूठी पत्नी को मनाने की योजना बनाने लगता हूँ। साढ़े तीन तक खाना बनकर तैयार हो जाता है और मैं झटपट खाने बैठ जाता हूँ। खाना आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भरपेट खाकर एक ज़ोरदार डकार लेता हूँ। पत्नी भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। मैं आराम की मुद्रा में थोड़ी देर टीवी देखने के लिए टीवी ऑन करता हूँ मगर बिजली गुल है। कमबख्त बिजली में भी इन दिनों सात–आठ घंटे की कटौती होने लगी है। रोज़ रोज़ के धरना प्रदर्शन के बावजूद बिजली की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। अभी चार दिन पहले गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ की उसके

दफ़्तर में सरेआम पिटाई ही कर दी। मगर सरकार के कान पर जूँ रेंगने का नाम नहीं लेती। हारकर मैं बिस्तर पर लौटकर लेट जाता हूँ। हालाँकि नींद फिर भी नहीं आती। मैं बार–बार घड़ी देखता हूँ। साढ़े चार बज चुके हैं। मैं पत्नी को मनाने की तरकीबें सोचता हूँ और उठकर रसोई में चला आता हूँ जहाँ पत्नी चाय बना रही है। इस बेचारी को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं सिवाय सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो लेने के। मैं उसे पीछे से अपनी बाँहों में भर लेता हूँ। वह झुँझला जाती है।

'क्या कर रहे हो... छोड़ो... खिड़की खुली है कोई देख लेगा।'

'देखता है तो देखे... अब तो खुल्लमखुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।' मैं रोमांटिक मूड में गुनगुनाने लगता हूँ।

'क्या बात है... बड़ी मस्ती के मूड में हो।' पत्नी की आँखों में शरारत है। उसका गुस्सा काफ़ूर हो उठा है। मैं उसके इसी अंदाज़ पर रीझ उठता हूँ। तमाम परेशानियाँ उसकी एक मुस्कान के आगे बौनी हो जाती हैं। मैं झट से उसके होठों को चूम लेता हूँ और उसे बाँहों में भरे भरे नाचने लगता हूँ– 'छुट्टी का दिन है कि मस्ती में हैं हम... मस्त मस्त मस्ती... याहू...' पत्नी प्यार से मुझे झिड़क देती है, 'अब बचपना छोड़ो और चलो चाय पियो।' मैं चाय का कप लिए उसके साथ ड्राइंगरूम में आ जाता हूँ। अब तक बिजली भी आ गई है। हम टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। शाम के साढ़े पाँच बज चुके हैं। पत्नी बाज़ार चलने की फ़रमाइश करने लगती है। मैं उसका मूड ख़राब करना नहीं चाहता। हालाँकि मन ही मन आज हुए ख़र्च का हिसाब लगाने लगता हूँ। एक ही दिन में कुल चार हज़ार की चपत लग चुकी है। 'ख़ैर... मौसम ख़ुशनुमा है और छुट्टी का दिन ख़राब नहीं करना है।' मैं सोचता हूँ और फ़ौरन बाज़ार के लिए तैयार होने लगता हूँ।

हम बाज़ार में हैं। शाम के सात बज रहे हैं। अँधेरा घिरने लगा है। बाज़ार में चारों ओर जगमगाहट है। लगता है जैसे मौसम का लुत्फ़ लेने पूरा शहर घरों से बाहर निकल आया है। नए–नए जोड़े हाथों में हाथ में डाले इत्मीनान से टहल रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं।

'कितने दिन हुए इतने अच्छे मौसम में हमें बाजार आए... न।' पत्नी कहती है और मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। टहलते–टहलते हम एक शापिंग मॉल के सामने आ जाते हैं। मॉल रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहा है और अपनी भव्यता और वैभव से पूरे शहर को मुँह चिढ़ा रहा है। शहर में पिछले दो साल में पाँच मॉल और मल्टीप्लैक्स खुले हैं और सब एक से बढ़कर एक। इस बीच रेहड़ी और खोमचे वालों की एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और साप्ताहिक हाट बाज़ार का हाल बद से बदतर हो गया है। मॉल के आस–पास रेहड़ी और खोमचे लगाने की सख्त मनाही है और कभी भूल से भी किसी ने ऐसा दुस्साहस कर लिया तो उसके लिए पुलिस का ज़ालिम डंडा तो है ही। बहरहाल, मॉल के आगे लंबी–लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है और उसमें चढ़ते उतरते लोग मुझमें बेतरह हीनभावना पैदा कर रहे हैं। वे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हैं जिनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं और जिनके चेहरे पर कहीं किसी दुःख, परेशानी या मुश्किल के निशान नहीं हैं।

मॉल के भीतर जगमग रोशनियों के बीच वस्तुओं का पूरा बाज़ार है जिनके ऊपर उनकी क़ीमतों के टैग लगे हैं। यहाँ हर चीज़ ब्रांडेड है और ब्रांड की ही क़ीमत है। लोग यहाँ चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। एक ब्रांडेड जींस की क़ीमत चार हज़ार, जूता सात हज़ार और बित्ते भर टॉप दो हज़ार। मेरे बग़ल में खड़ी एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की झटपट एक जींस और टॉप उठाती है और उन्हें आज़माने के लिए ट्रायल रूम में घुस जाती है। दो मिनट बाद जब वह बाहर आती है तो मैं देखता हूँ उन कसे हुए कपड़ों में उसका शरीर जैसे फट पड़ने का आतुर है। डीप नेक टॉप और लो हिप जींस में उसका शरीर और भी दिलकश हो उठा है। मैं पत्नी से नज़रें बचाकर उसके शरीर के खुले गोपन अंगों को घूरने लगता हूँ और वह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर बेपरवाही से टहलते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। पत्नी वहाँ तमाम चीज़ों को ललचाई निगाहों से उठा उठाकर देख रही है फिर उनकी क़ीमतें पढ़कर मायूस हो जाती है और चुपचाप उन्हें यथास्थान रख देती है। कुछ ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी के बाद हम जगमग रोशनियों के उस संसार से बाहर आ जाते हैं। घड़ी में साढ़े आठ बज रहे हैं। रास्ते में गोलगप्पे खाने के बाद अपनी तमाम तमाम अधूरी इच्छाओं के साथ हम घर की ओर लौट पड़ते हैं। आखिर सुबह दफ़्तर के लिए जल्दी उठना भी तो है।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

कृत्रिम बुद्धिमत्ताः अवसर एवं चुनौतियाँ

राजेश कुमार कर्ण*

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–एआइ) का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। एआई के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। एआई कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है।

एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर–कंप्यूटर के विकास के लिये 10–वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों, जैसे– वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिये एक संघ 'माइक्रो–इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी' की स्थापना की। माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिये बदल जाएगा।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनंत संभावनाएँ हैं। इन दिनों देश में एआई चर्चा का विषय बना हुआ है। एआई एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है और हमारे रहने एवं काम करने के तरीके को नया आकार दिया है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति के साथ, एआई अधिक बुद्धिमान और सक्षम होता जा रहा है। नई तकनीक अपने साथ उत्साह लाती है और आशंकाएं भी। इतिहास में मानवता ने जितने भी बड़े बदलाव देखे, वे इन्हीं मिली–जुली भावनाओं के साथ अपनाए गए। एआई के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार भावनाएं ज्यादा तीव्र हैं। वजह कि बदलाव की रफ्तार बेहद तेज है और असर व्यापक। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विजन और जिम्मेदारी की बात कही है, उसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। इसी से तय होगा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आगे चलकर क्या रंग लाता है। मोदी जी ने एआई के लिए 'मानव' मंत्र दिया है। यह वो मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो पारदर्शिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और साझा विकास की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, 'मानव इतिहास में कुछ शताब्दी पर एक ऐसा मोड़ आता है, जो सभ्यता की दिशा बदल देता है, विकास की गति परिवर्तित कर देता है और हमारे सोचने, समझने व काम करने के तरीकों को तब्दील कर देता है... कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मानव इतिहास में एक ऐसा ही बदलाव है'। जब कुछ देश तकनीक और संसाधनों पर कब्जा चाहते हैं, तब भारत का संदेश है कि एकाधिकार टूटना चाहिए। कुछ देश प्रॉड्यूसर और बाकी केवल यूजर बनकर नहीं रह सकते। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन बैड स्मिथ ने भी तकनीक के जरिये इसी समानता की बात कही है।

भारत तेजी से एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक शोध में भारत को एआई के मामले में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर आंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के कुल एआई विशेषज्ञों में से 16% भारत में रहते हैं और जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स के मामले में हम संसार में दूसरे स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही जो सुधार किए, उनमें बेहद महत्वपूर्ण इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 89 फीसदी नए स्टार्टअप्स एआई का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, जून 2025 में लॉन्च हुआ 'भारतजेन' एआई संसार का पहला सरकार पोषित मल्टीमॉडल 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' है। भारत को आगे बढ़ना है, तो हमें देश की विभिन्न भाषाओं में एआई सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने ही होंगे। सरकार इसी दिशा में

* *आशुलिपि सहायक, ग्रेड I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक लाख करोड़ रुपये का एक ऐसा कोष भी तैयार किया गया है, जो नवोन्मेषी शोध के इच्छुक नौजवानों को ब्याज–मुक्त धन उपलब्ध करा रहा है। ऐसी पहल पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत अपनी 140 करोड़ जनता की बदौलत एआई परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और अत्याधुनिक अनुसंधान तक, एआई में हमारी प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है। एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति देश के लिए नए और बदलावकारी समाधान तैयार करेगी। साथ ही, वैश्विक विकास में भी अहम योगदान देगी। भारतीय प्रतिभा एआई के भविष्य को दिशा देने में सक्षम है। भारत एआई का उपयोग जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से, मानव कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एआई एंड बियांड के को–फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा के अनुसार अगर 2024 वह साल था, जब एआई ने बोलना सीखा तो 2025 वह साल रहा, जब एआई के हाथ बढ़े और उसका दायरा एवं प्रभाव बढ़ा। यह वह वर्ष रहा, जब एआइ निर्णायक रूप से डेमो और पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे निकलकर वास्तविक क्रियान्वयन, स्वायत्तता और बड़े पैमाने पर उपयोग में उतरा। चर्चा एआई टूल्स के इस्तेमाल से आगे बढ़कर एआई एजेंट्स के निर्माण पर आ गई। जेनरेटिव एआई की जगह एजेंटिक एआई प्रमुख अवधारणा बन गई। एजेंटिक एआई ऐसे सिस्टम को कहते हैं, जो सिर्फ इंसानों को सलाह नहीं देते, बल्कि एंटरप्राइज साफ्टवेयर के भीतर बहु–चरणीय वर्कफ्लो को स्वयं अंजाम देते हैं। एजेंटिक ब्राउजर्स से लेकर आटोनामस कामर्स और वर्कफ्लो आटोमेशन तक, एआई एक सहायक से बढ़कर जूनियर सहयोगी की तरह व्यवहार करने लगा। वर्ष 2025 आत्ममंथन का भी साल रहा। कंपनियों ने दिखावटी प्रयोगों को छोड़कर ठोस और मापने योग्य रिटर्न आन इन्वेस्टमेंट की मांग शुरू की। एआई को अपनाना अब अपवाद नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। कोडिंग पहला ऐसा उपयोग क्षेत्र बना, जहां एआई का व्यापक पैमाने पर असर दिखा। क्लाड, कर्सर और कोपायलट जैसे एआई टूल्स एंटरप्राइज स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नया कोड तैयार करने लगे। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका भी बदलने लगी। अब वह सिर्फ कोड लिखने वाला नहीं, बल्कि मशीन श्रम का पर्यवेक्षक और सिस्टम आर्किटेक्ट बनता जा रहा है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग के शब्दों में कहें तो हम सॉफ्टवेयर एजेंट्स के लिए एचआर मैनेजर बन गए हैं।

इस गुजरते साल पर्दे के पीछे एआई की भौतिक नींव भी तैयार हो रही थी। एटम्स फार एल्गोरिदम्स आंदोलन के तहत बड़ी टेक कंपनियों ने गीगावाट स्तरीय डाटा केंद्रों को ऊर्जा देने के लिए परमाणु ऊर्जा की ओर रुख किया। एआई ने सिर्फ सॉफ्टवेयर को नहीं बदला, बल्कि वैश्विक ऊर्जा अवसंरचना को भी नए सिरे से आकार देना शुरू कर दिया। चीन का फोकस एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) की समय–सीमाओं की घोषणा करने के बजाय अनुप्रयोगों, ओपन सोर्स नेतृत्व और ऊर्जा प्रचुरता पर रहा। एजीआई को मानव–स्तरीय एआई भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो लगभग सभी संज्ञानात्मक कार्यों में मानव क्षमताओं के बराबर या उनसे भी आगे निकल सकती है। ओपन–सोर्स का स्वामित्व एक बार फिर दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त साबित हुआ। बीत रहा वर्ष एआई के स्याह पहलुओं को भी उजागर कर गया। हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। डीपफेक्स ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए खतरा पैदा किया, एआई कंपैनियंस ने अकेलेपन और मानवीय संबंधों को लेकर असहज सवाल खड़े किए और उद्योग एक डाटा सीमा से टकरा गया, जिससे सिंथेटिक डाटा की ओर झुकाव बढ़ा। इसके बावजूद इस साल के अंत तक गूगल एक अप्रत्याशित एआई लीडर के रूप में उभरा, जिसने चिप्स, माडल्स, डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी फुल–स्टैक ताकत का लाभ उठाया।

अगर वर्ष 2025 क्षमताओं का साल था तो 2026 विवेक का होगा। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे रीजनिंग वेब का युग कहा जाता है, जहां सर्च इंजन लिंक दिखाने के बजाय सीधे उत्तर देने वाले इंजन बन जाएंगे और एआई ब्राउजर ज्ञान को समेटकर प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इससे वेब की आर्थिक संरचना को नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा, अन्यथा यह उन्हीं क्रिएटर्स को नुकसान पहुंचाएगा, जिन पर एआई निर्भर है। इसी समय एजेंट्स कोपायलट से आगे बढ़कर सहयोगी बन जाएंगे और हल्की मानवीय निगरानी में पूरे वर्कफ्लो चला सकेंगे। वर्ष 2026 वह साल भी होगा, जब एआई को शरीर मिलेगा। फिजिकल एआई यानी रोबोट्स और आटोनामस सिस्टम्स प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर वेयरहाउस, फैक्ट्रियों और शहरों की सड़कों तक पहुंचेंगे। सेल्फ–ड्राइविंग कारों का अलग–अलग शहरों और महाद्वीपों में विस्तार इस बात का संकेत है कि एंबेडेड इंटेलिजेंस अब कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक संचालन बन चुकी है। सेल्फ–ड्राइविंग कारें इंसानी हस्तक्षेप के बिना चल सकती हैं। अगले साल एआई वैल्यूएशंस में सुधार जरूर आएगा, लेकिन गिरावट नहीं, क्योंकि तकनीक ठोस है, इन्फ्रास्ट्रक्चर गहरा है और कैश फ्लो मजबूत है। इसके बजाय जो चीज सबसे मूल्यवान बनेगी, वह है मानवीय तत्व। जब एआई जेनरेटेड कंटेंट इंटरनेट पर बाढ़ की तरह फैल जाएगा, तब सत्यापित मानवीय रचनात्मकता, विवेक और जुड़ाव एक तरह की लक्जरी बन जाएंगे। कुल मिलाकर दुनिया के साथ–साथ भारत के लिए भी 2026

एआई के क्षेत्र में एक निर्णायक क्षण लेकर आएगा। संप्रभु एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट का विस्फोट और जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) तक पहुंच अब वास्तविक लगने लगी है। अगर 2025 ने हमें दिखाया कि एआई क्या कर सकता है तो 2026 हमें यह तय करने पर मजबूर करेगा कि हम उसके साथ कैसे जिएं, काम करें और शासन करें। कच्ची बुद्धिमत्ता का युग पीछे छूट चुका है। अब विवेक का युग शुरू हो रहा है।

वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई अब एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि 'चौथी औद्योगिक क्रांति' का मुख्य स्तंभ बन चुका है। हाल ही में, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत 92 फीसदी एआई एडॉप्शन दर के साथ विश्व के अग्रणी देशों की सूची में पहले स्थान पर है। यह आंकड़ा भारत की डिजिटल शक्ति को तो दर्शाता है ही, वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत भी देता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने स्पेन (78 फीसदी) और ब्राजील (76 फीसदी) जैसे उभरते बाजारों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात है कि अमेरिका व जापान जैसे तकनीकी परिपक्व देश एआई एडॉप्शन की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। यहां एडॉप्शन का अर्थ केवल एआई के परिचय से नहीं, बल्कि सप्ताह में कई बार सक्रिय उपयोग से है। भारत की बढ़त के पीछे कई तर्क दिए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख है भारत की विशाल युवा आबादी का 'डिजिटल नेटिव' होना। संज्ञानात्मक लचीलापन युवाओं में अधिक होता है, जिससे ये नई जटिल तकनीकों को शीघ्र आत्मसात कर लेते हैं। दूसरा है, लीपफ्रॉगिंग की प्रवृत्ति, यानी भारत ने कई पारंपरिक चरणों को छोड़कर सीधे उन्नत डिजिटल समाधानों को अपनाया है। तीसरा कारण है, भारतीय श्रम बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का होना। यहां एआई को 'जॉब रिप्लेसमेंट' के बजाय 'जॉब एनहांसमेंट' टूल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है।

भारत की 'नंबर 1' रैंकिंग 'एआई रेडीनेस' (एआई तत्परता) को भी रेखांकित करती है। भारत सरकार का 'इंडिया एआई' मिशन, नेशनल, स्ट्रेटजी फॉर एआई और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में एआई पाठ्यक्रमों का समावेश इसे आधार प्रदान कर रहा है। नीति आयोग का भी कहना है कि एआई अपनाने से 2035 तक जीडीपी में 957 अरब अमेरिकी डॉलर और देश की वार्षिक विकास दर में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। एआई को प्रशिक्षित करने के लिए डाटा ही ईंधन है। जापान व अमेरिका जैसे देशों में निम्न एडॉप्शन दर के पीछे 'संस्थागत जड़ता' और 'सख्त नियामक ढांचे' उत्तरदायी हैं, जिसमें एआई के लिए जरूरी आंकड़ों की पूर्ति के लिए सख्त नियम हैं। दूसरा, वहां डाटा गोपनीयता व कॉपीराइट कानूनों की जटिलता ने तकनीक के मुक्त प्रसार को धीमा किया है, जबकि भारत में 'ओपन सोर्स कल्चर' और नवाचार के प्रति उदार दृष्टिकोण ने इसे गति दी है। हमें एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और डाटा संप्रभुता पर शोध की जरूरत है, ताकि तकनीक निष्पक्ष हो और डिजिटल उपनिवेशवाद से बचा जा सके। एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह डाटा में छिपे सामाजिक पूर्वाग्रहों को दोहराता है, जिससे एआई द्वारा भेदभावपूर्ण निर्णय संभव है। वहीं, डाटा संप्रभुता सुनिश्चित करती है कि भारतीयों का डाटा देश की सीमाओं व कानूनों के अधीन रहे। 92 फीसदी एडॉप्शन रेट प्रमाण है कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था भविष्य की चुनौतियों के लिए न केवल तैयार है, बल्कि उन्हें आकार देने में सक्षम है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मशीनी कौशल (एआई) में हुई प्रगति, खासकर आडियो, वीडियो और आड़ियो–वीडियो कंटेंट को बनाने और बदलने की तकनीक ने सूचना के सृजन, उपभोग और विश्वास के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। जहां ये तकनीक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और लोगों तक पहुंच को बढ़ाती हैं, वहीं ये ऐसे नए खतरे भी पैदा करती हैं जो सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी से पैदा होने वाली खास चुनौतियों को समझते हुए भारत सरकार ने डिजिटल मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडियरी) से जुड़े कानून और नीतिगत ढांचे को और मजबूत किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन और नवंबर 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत जारी भारत की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025 दोनों को साथ पढ़ने पर सरकार का एक संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आता है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक नुकसान से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही जिम्मेदार तरीके से एआई को अपनाने के लिए नीतिगत सिद्धांत भी तय किए गए हैं। हितधारकों से व्यापक विचार–विमर्श के बाद तैयार किए गए ये सभी नियम और दिशानिर्देश मिलकर सरकार की एक साफ मंशा दिखाते हैं– तकनीक का विकास ऐसा हो, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की गरिमा को बनाए रखने वाले ढांचे के भीतर ही आगे बढ़े। संशोधित इंटरमीडियरी नियमों में पहली बार कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी की एक साफ और व्यावहारिक परिभाषा दी गई है। इसमें वह कंटेंट शामिल है जो इस तरह बनाया या बदला गया हो कि वह असली जैसा लगे या हकीकत से अलग पहचान में न आए, लेकिन इसमें सामान्य और ईमानदार कामों को

साफ तौर पर बाहर रखा गया है– जैसे तकनीकी एडिटिंग, दिव्यांगों की सुविधा के लिए किए गए बदलाव, पढ़ाई या शोध से जुड़ी सामग्री और वैध रचनात्मक उपयोग। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल नुकसान के नए तरीकों से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही निपटा जाए, न कि उसे अनौपचारिक या प्लेटफार्म की अपनी माडरेशन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए। इतना ही महत्वपूर्ण यह स्पष्टीकरण है कि मध्यस्थों द्वारा स्वचालित उपकरणों या अन्य उचित तकनीकी उपायों के माध्यम से सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयां वैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं करती हैं। इससे जवाबदेही बनाए रखते हुए अनुपालन को बढ़ावा देने वाला परिवेश मजबूत होता है।

संशोधित ढांचे में सबसे बड़ा और अहम बदलाव यह है कि अब सिर्फ नुकसान होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, पहले से ही रोकथाम पर जोर दिया गया है। जो डिजिटल प्लेटफार्म कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को बनाने या फैलाने में मदद करते हैं, उन्हें ऐसे तकनीकी उपाय अपनाने होंगे, ताकि गैर–कानूनी कंटेंट के बनते समय या फैलते समय ही रोका जा सके। अगर कृत्रिम रूप से बनाया गया कंटेंट कानूनी है तो उस पर साफ और स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, तकनीकी रूप से संभव होने पर उसके साथ स्थायी मेटाडाटा या स्रोत पहचान से जुड़ी व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि वह कंटेंट कहां से आया है। इन लेबल या पहचान से जुड़े चिह्नों को हटाना, बदलना या छिपाना साफ तौर पर प्रतिबंधित होगा। इसमें केवल नुकसान हो जाने के बाद कंटेंट हटाने पर भरोसा नहीं किया गया है, बल्कि पारदर्शिता को नागरिक की गरिमा और भरोसे की सुरक्षा के रूप में देखा गया है। अब नागरिकों को सिर्फ शिकायत करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे उसी समय यह पहचान भी कर सकेंगे कि कोई कंटेंट असली है या नहीं। यह नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को मान्यता देने जैसा है। अब डिजिटल प्लेटफार्म को समय–समय पर और साफ भाषा में यूजर्स को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और नियम न मानने पर होने वाले परिणामों के बारे में बताते रहना होगा।

बड़े और प्रभावशाली इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के लिए नियमों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो उनके आकार और प्रभाव के हिसाब से हैं। अगर कोई प्लेटफार्म नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे चूक माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिन प्लेटफार्म का समाज पर ज्यादा और व्यापक असर है, उन पर शासन और निगरानी की जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले इन नियमों के साथ–साथ, इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025 एआई को जिम्मेदार, सुरक्षित और सभी को साथ लेकर अपनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बताती हैं। ये गाइडलाइंस आईटी एक्ट या इंटरमीडियरी नियमों की कानूनी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करतीं, बल्कि ये डेवलपर्स, एआई सिस्टम लागू करने वालों और संस्थानों को दिशा देने का काम करती हैं।

इंडिया एआई मिशन की सी.ओ.ओ कविता भाटिया के अनुसार एआई की ताकत इंसानों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाना है। एआई के जरिये महिलाओं को आत्मनिर्भर, युवाओं को हुनरमंद बनाना है। यह असंगठित क्षेत्रों के काम करने वालों के लिए सुरक्षा और अवसर दे सकता है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य भारत में एआई को विकसित करना है। इसके तहत कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने, नए इनोवेशन सेंटर खोलने, भरोसेमंद डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करने, एआई आधारित ऐप्लिकेशन बनाने, युवाओं को कौशल सिखाने और स्टार्टअप को आर्थिक मदद जैसे कदम उठाए गए। नतीजतन अब शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और लैब से लेकर खेतों तक एआई है।

इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर के जरिये समावेशी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे एआई बनाए जा रहे है, जो देश की भाषायी और सामाजिक विविधता को समझें। इन्हें महिलाओं, किसानों, गिग वर्कर्स और छोटे व्यापारियों की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। भले ही दुनिया में एआई का उपयोग उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हो रहा है। मगर, भारत में इसका असर रोजगार, सुरक्षा, ट्रेनिंग और अवसर के तौर पर है। आज भारत की गिग अर्थव्यवस्था में एआई की मदद से महिलाएं अपनी पहचान गढ़ रही है। कई महिला उद्यमी एआई वाले ऑनलाइन बाजार से जुड़कर कारोबार बढ़ा रही हैं। महिला ड्राइवर, डिलिवरी पार्टनर सभी एआई से आत्मनिर्भर बन रही है।

कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में भी एआई डिजिटल समावेशन को रफ्तार दे रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं वाले एआई असिस्टेंट कम पढ़ी–लिखी महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहे है। युवाओं के लिए एआई महज प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि भविष्य का रास्ता है। युवा एआई फॉर ऑल का मकसद युवाओं को एआई की बुनियादी जानकारी देना है।

कई स्टार्टअप रिहायशी इलाकों और कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा मजबूत करने के वास्ते एआई सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं में भी एआई वाली शिकायत निवारण प्रणाली शामिल की गई है। खेती में भी एआई मददगार है। इससे किसानों को कीटों के हमले और मौसम संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लग रहा है। एआई से फिनटेक कंपनियां उन महिला उद्यमियों को लोन दे रही हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थीं।

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सशक्त बना सकता है। एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही उसका नैतिक और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भारत में एआई क्रांति अवसर देने के लिए होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि गांव की महिला उद्यमी, दूर–दराज के युवाओं और स्टार्टअप संस्थापकों को एआई का बराबर फायदा मिले।

एआई विशेषज्ञ प्रवीण कौशल के अनुसार एआई मॉडल के लिए सही तकनीक चुननी होगी। हमारा दिमाग लगभग 20 वॉट ऊर्जा पर काम करता है, फिर भी सोचने, समझने, बोलने, देखने और भावनाएं महसूस करने जैसे जटिल काम करता है। इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। इसके विपरीत, आधुनिक प्रवीण कौशल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को चलाने और प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटा सेंटर और बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान 'मिक्सचर–ऑफ–एक्सपर्ट्स' (एमओइ) नाम की नई तकनीक में है। पारंपरिक एलएलएम भारी नेटवर्क होते हैं, जहां हर सवाल पर पूरा मॉडल एक्टिव हो जाता है। जरूरत हो या नहीं पर सभी पैरामीटर काम करते हैं। जैसे–जैसे पैरामीटर सैकड़ों अरब तक बढ़ते हैं, ऊर्जा और लागत भी बढ़ती है। इससे एआई शक्तिशाली तो बना, लेकिन आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ गई। इंसानों का दिमाग सभी न्यूरॉन्स को एक साथ सक्रिय नहीं करता। इसके अलग–अलग हिस्से अलग काम में एक्सपर्ट हैं। किसी कार्य के लिए केवल जरूरी नेटवर्क ही सक्रिय होते हैं, बाकी शांत रहते हैं। यही चयनात्मक सक्रियण का सिद्धांत एमओइ की प्रेरणा है। एमओइ ऐसा न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें कई सब–नेटवर्क होते है। हर इनपुट पूरे मॉडल से नहीं गुजरता, बल्कि रूटिंग सिस्टम केवल कुछ चुने हुए विशेषज्ञों को सक्रिय करता है। भले ही मॉडल में 100 अरब पैरामीटर हों, एक प्रश्न पर केवल छोटा हिस्सा (लगभग 8–10 अरब) काम करता है। इससे ऊर्जा की खपत घटती है। एआई में ऊर्जा खपत बड़ी चिंता बन रही है। जैसे–जैसे एआई का उपयोग बढ़ेगा, लागत और ऊर्जा अहम होंगे। एमओइ जैसे ऊर्जा–कुशल मॉडल इसे सस्ता और व्यापक बनाते हैं, खासकर कम संसाधन वाले देशों में। लेकिन जेवन्स पैराडॉक्स के अनुसार, अधिक दक्षता से उपयोग बढ़ भी सकता है। इसलिए एमओइ समाधान नहीं, पर सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एमओइ के बहुत फायदे हैं। हर सवाल पर पूरा मॉडल सक्रिय नहीं होता, इसलिए ऊर्जा कम लगती है। अलग–अलग विशेषज्ञ खास काम में माहिर बनते हैं, जिससे गुणवत्ता बेहतर होती है। बगैर लागत बढ़ाए मॉडल की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसी कारण यह तरीका लोकप्रिय हुआ। डीपसीक ने बड़े एमओइ मॉडल से अच्छी दक्षता दिखाई। भारत का सरवम एआई भी बहुभाषी मॉडल में यह तरीका अपनाता है। सॉवरेन एआई बनाने वाले देशों के लिए सही तकनीकी ढांचा चुनना बहुत जरूरी है। अगर एआई कम ऊर्जा में काम करे, तो उसे छोटे उपकरणों और दूर–दराज इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि हर बार पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ जरूरी हिस्से को ही सक्रिय करना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर ने ठीक ही लिखा है कि एआई को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, जिसके जरिये सबल महादेश कमजोर मुल्कों पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इस मामले में अमेरिका की नीयत सामने आ चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ युद्ध के जरिये समूचे विश्व को अपने काबू में करना चाहा, वह दूसरे महायुद्ध के बाद स्थापित सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत था। एआई तेज दौड़ती ऐसी बस है, जिस पर अगर तत्काल सवारी नहीं की गई, तो आप बीच राह में अटक जाने को अभिशप्त होंगे।

मोदी सरकार ने कई लक्ष्य एक साथ साधने का प्रयास किया है। सबसे पहला है– इस क्षेत्र के प्रति रुचिशील नौजवानों को यह भरोसा देना कि आपका देश आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का सामर्थ्य रखता है। मोदी सरकार को विश्वास है कि भारत एआई के लोकतंत्रीकरण, डीपफेक, साइबर सुरक्षा और नई उपजी चुनौतियों से जूझने के लिए नैतिक मानदंड स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मोदी का 'मानव' फॉर्मूला इसी से प्रेरित है।

एआई रेतीली खेत को शस्य श्यामला खेत में बदलने की क्षमता रखता है। अब किसान कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 'ड्रिप हार्वेस्टिंग' और एआई से उपजी जानकारियों के जरिये आसानी से जान लेते हैं कि खेत के किस हिस्से को पानी की जरूरत है, कहां कीड़ा लग रहा है या कहां खाद की कमी है? उन्हें कीड़ों के हमले की चेतावनी भी पहले से मिल जाती है। एआई उपकरण उन्हें यह भी बता देते हैं कि किस फसल को बोने में उनका सर्वाधिक लाभ है और मुनाफा बढ़ाने के लिए उचित बाजार कहां है?

साइबर विशेषज्ञ राहुल मथान ने ठीक ही लिखा है कि सबसे पहले हम अपनी खेती को एआई से सुधारें। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के वुडस्टॉक शहर स्थित टोयोटा की फैक्टरी जल्द ही अपने यहां 'डिजिट' नामक रोबोट तैनात करेगी। यह इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है, जिसे एजिलिटी रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। यह दो पैरों वाला रोबोट गोदामों से आने वाली गाड़ियों से ऑटो पार्ट्स उतारकर प्रोडक्शन लाइन की तरफ ले जाएगा। यह वह काम है, जिसे अब तक इंसान करते रहे हैं। टोयोटा अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, जो रोबोट का इस्तेमाल कर

रही है। इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी के 'दा विंची' रोबोट दुनिया भर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये अब तक लाखों ऑपरेशन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरी तरह स्वचालित वेमो गाड़ी हर हफ्ते 1,50,000 से ज्यादा ट्रिप पूरी करती है। इसे अल्फावेट ने बनाया है, जो गूगल की मूल कंपनी है। इसी तरह टेस्ला की ऑप्टिमस श्रेणी के ह्यूमनॉइड (इंसान जैसा) रोबोट का उत्पादन जोर–शोर से चल रहा है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इनका विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगेगा।

लेबर इकोनॉमिक्स में हाल ही में छपे एक शोध–पत्र में यह तर्क दिया गया है कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं और रोजगार पर इसका प्रभाव संभालना कठिन हो सकता है। भारत में इस समय 35 साल से कम उम्र के लगभग 80 करोड़ युवा तैयार हैं, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ा 'डेमोग्राफिक बल्ज (युवा आबादी की भारी बढ़त)' है। अगर एम्बेडेड एआई (रोबोट का भौतिक रूप) ही इंसान की जगह तेजी से काम करने लगेगा, तो हमारा यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' तेजी से 'जनसांख्यिकीय आपदा' बन जाएगा।

भारत के सामने मौजूद कई चुनौतियों में से कृषि उत्पादकता एक मुख्य चुनौती है। खेती की जमीन का औसत आकार लगभग एक हेक्टेयर होने के कारण, भारत में कृषि न केवल अलाभकारी है, बल्कि यह एक ऐसी 'गरीबी की जाल' बन गई है, जिससे 12.5 करोड़ छोटे किसान परिवार केवल गुजारा करने को मजबूर हैं। ऐसे में, हमें इस विकास संबंधी संकट से तत्काल बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। ऐतिहासिक रूप से, हर सफल औद्योगिक अर्थव्यवस्था इसी बदलाव के दौर से गुजरी है। यानी, सबसे पहले श्रम खेतों से निकलकर कारखानों में जाता है और फिर वहां से सेवा क्षेत्र में चला जाता है। हालांकि, भारत को खेतों से कारखानों की ओर होने वाले इस संक्रमण में काफी संघर्ष करना पड़ा है।

ऐसे में, हमें खेती में ऑटोमेशन के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक उत्पादन की ओर बदलाव तेजी से हो सके। चूंकि हमें एम्बेडेड एआई के लिए घरेलू बाजार भी विकसित करने की जरूरत है, इसलिए उन कंपनियों को बढ़ावा देना होगा, जो खेती के कामों के लिए बनाई गई मशीनों में आधुनिक एआई तकनीक को शामिल करती हैं। अगर भारत खेती से जुड़े रोबोटों के लिए दुनिया की प्रयोगशाला बन सकता है, तो वह इन मशीनों का दुनिया भर में आपूर्तिकर्ता भी बन सकता है।

बेंगलुरु के एक स्टार्टअप निको रोबोटिक्स ने पहले ही एक एआई संचालित सटीक स्प्रेयर (खर–पतवार नाशक रोबोट) विकसित कर लिया है, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अलग–अलग पौधों की पहचान करता है और मिलीमीटर के स्तर तक जाकर सटीकता के साथ उन पर दवाओं का छिड़काव करता है। यह एआई से ट्रैक्टरों को उन्नत बनाकर उसको छोटी जोत के लिए भी उपयोगी बनाता है। इससे खेती में लागत और पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम हो सकता है। यह इस बात का सिर्फ एक उदाहरण है कि भारत कैसे खेती की मशीनों में एआई का इस्तेमाल करके उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। हम कपास, मिर्च, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के लिए डिजाइन किए गए रोबोट को देख सकते हैं। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम ऑटोमेटेड सॉइल–सेंसिंग (मिट्टी के गुणों को मापने वाला) उपकरणों को लगाने पर विचार कर सकते हैं, जो किसानों को उनकी जमीन के बारे में लगातार और जरूरी जानकारी दे सकें। एआई–एम्बेडेड सॉइल मॉइस्चर सेंसर (मिट्टी की नमी को रोकने वाली मशीन) की मदद से खेतों में पानी और कीटनाशकों के इस्तेमाल में काफी कमी लाना संभव हो सकेगा।

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर किंशुक पाठक ने ठीक ही लिखा है कि इक्कीसवीं सदी डिजिटल क्रांति और विकास का युग है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रत्येक क्षेत्र पर अपना गहन प्रभाव डाल रही है। युवा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी बसती है, परंतु अवसरों की अनुपलब्धता के कारण बेरोजगारी एक विकट चुनौती बनी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर अक्तूबर 2025 में 14.9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। ऐसे में, डिजिटल क्रांति के इस युग में एआई वीडियो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक क्रांतिकारी संसाधन के रूप में उभर रहा है। एआई वीडियो न केवल 'कंटेंट क्रिएशन' को सहज बनाते हैं, बल्कि वीडियो निर्माण उद्यमिता का भी माध्यम बन रहा है और यह ऑनलाइन कमाई के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। भारत जैसे युवा प्रधान विशाल राष्ट्र में जहां डिजिटल कंटेंट की दरकार दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है और यू–ट्यूब जैसे मंच पर 46 करोड़ से भी अधिक यूजर्स हैं, एआई वीडियो हमारे नौजवानों को इस वैश्विक बाजार में प्रवेश करने का उचित अवसर प्रदान कर रहा है।

एआई वीडियो की शुरुआत साल 2010 के दशक में हुई, जब डिजिटल बाजार में डीप लर्निंग मॉडल, जैसे जीएएन (जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स) विकसित हुए। डिजिटल साक्षरता और वैश्विक स्तर पर चुनौती से संभलने के लिए भारत ने इंटेल द्वारा 'एआई फॉर यूथ' कार्यक्रम के माध्यम से एक लाख युवाओं में एआई कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा था। यह कार्यक्रम मूल रूप से स्कूली छात्रों (कक्षा 8 से 12 तक) को लक्षित करके बनाया गया है, जहां 'युवाई' कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को एआई की आधारभूत संरचना से अवगत कराया जाता है। एआई से

संबंधित अर्थशास्त्री बताते हैं कि एआई वीडियो का संपादन बाजार साल 2030 तक 9.3 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। युवा इससे एनिमेटेड कहानियां, शैक्षणिक सामग्रियां आदि बना सकते हैं।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'युवाई' पहल नौजवानों को एआई उद्यमी बनाने पर ही केंद्रित है। इससे ग्रामीण व शहरी, दोनों वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। एआई पर आधारित ऑडियो–वीडियो (सिस्टम ऑन चिप यानी एसओसी) का बाजार साल 2030 तक लगभग 67.62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरक्की से यकीनन हमारे युवा वर्ग की सहभागिता बढ़ेगी। एआई वीडियो युवा वर्ग के लिए आशाजनक तो है, परंतु यह चुनौतियां भी लेकर आता है। भारत में युवाओं में एआई से संबंधित कौशल बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा उनमें बौद्धिक विषमता बढ़ेगी। इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान शिक्षा में निहित है। सरकार को एआई प्रशिक्षण की महत्ता को समझते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जैसा कि इंटेल का कार्यक्रम कर रहा है। इस प्रकार के अनेक अभियानों की जरूरत है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर हमें एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आकर राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान कर सकें। उपर्युक्त तथ्यों और संदर्भों से स्पष्ट है कि यह तकनीक न केवल कमाई के अवसर प्रदान करती है, अपितु व्यक्तिगत रचनात्मकता को भी विस्तारित करती है। यदि सरकारी नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन हो, तो साल 2030 तक भारत की युवा शक्ति एआई में वैश्विक नेता बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगी।

एआई फिल्म निर्माण में सहायक साबित हो रहा है। प्रगतिशील डिजिटल क्रांति के इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई अब केवल विज्ञान–कथा की कपोल–कल्पना नहीं रहा, फिल्म–निर्माण की दुनिया में भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। एआई का उपयोग अब पटकथा लेखन से लेकर वीएफएक्स, डबिंग और पोस्ट–प्रोडक्शन तक प्रत्येक चरण में अत्यधिक हो रहा है। यह तकनीक न केवल आर्थिक रूप से लाभ दे रही है, बल्कि अपार रचनात्मक एवं सृजनात्मक संभावनाओं को भी मूर्त रूप दे रही है।

भारतीय फिल्म उद्योग वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा है और यहां पर एआई को हॉलीवुड से कहीं अधिक उत्साह व रचनात्मकता के साथ अपनाया जा रहा है। परन्तु यह मानव रचनात्मकता का स्थायी विकल्प नहीं है, बल्कि एक पूरक मात्र है। ऑस्कर अकादमी द्वारा 2025 में स्पष्ट किया गया था कि एआई से बनी फिल्में भी पुरस्कार के योग्य हैं, मगर उनमें मानवीय योगदान सर्वोपरि हो। भारतीय फिल्मों में अगर एआई को सावधानी से अपनाया जाए, तो हम विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने ठीक ही लिखा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब इस नई तकनीक से प्रभावित होने लगी हैं। यह कोई छोटा–मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि एआई एक क्रांतिकारी तकनीक है। इससे पहले जो भी तकनीकी बदलाव हुए हैं, उन्होंने कमोबेश शारीरिक श्रम पर असर डाला था। उनसे हमारे भौतिक कामकाज प्रभावित हुए थे, पर एआई कुशल कामगारों को प्रभावित कर रही है। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ रही है और उनके काम करने के तरीके कितने बदल रहे हैं। यह बदलाव काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि एआई में निवेश काफी ज्यादा हो रहा है। मसलन, पिछले साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के बुनियादी ढांचे को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए लगभग 500 अरब डॉलर तक के निवेश की घोषणा की। वहां 'मेटा' जैसी बड़ी कंपनियां भी अरबों डॉलर का निवेष कर रही हैं। चीन भी इस तरह के कामों में पीछे नहीं है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो देश एआई में सर्वोच्चता हासिल कर लेगा, वह विश्व–व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बना लेगा।

यही वजह है कि एआई को 'पब्लिक गुड्स' के रूप में विकसित करने की वकालत की जाती है, ताकि यह सबको सुलभ हो और सभी इसका इस्तेमाल कर सकें। यह मांग इसलिए भी हो रही है, क्योंकि एआई से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। यह किसी उद्योग के लिए जरूरी शोध कर सकती है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तत्काल बता सकती है कि कहां उसके लिए बेहतर कच्चा माल उपलब्ध है और कहां से उसे लाना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। इसी तरह, मार्केटिंग की रिपोर्ट तैयार करने में भी एआई से काफी मदद मिलती है। कहां और किस क्षेत्र में कैसी मांग है, इससे यह पता करना आसान हो जाता है। यानी, सूचनाएं उपलब्ध रहने से तमाम उद्यमों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इस तरह उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है।

इसी तरह, नए–नए शोध में एआई से फायदा मिल सकता है। मिसाल के लिए, अब प्रोटीन की संरचना समझने के लिए 'अल्फाफोल्ड' सॉफ्टवेयर की मदद ली जाने लगी है। यह प्रोटीन की थ्रीडी संरचना बना देती है, वह भी थोक के भाव में। पहले प्रोटीन की एक संरचना के विश्लेषण के लिए एक शोध कार्य होते थे, लेकिन 'अल्फाफोल्ड' हजार षोध के बराबर काम करने में सक्षम है। इससे दवाओं के निर्माण में फायदा होता है। इस जैसे तमाम पेशेवर कामों में अब एआई की भागीदारी संभव होगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम किसी डॉक्टर या सीए के इंटर्न के रूप में किसी एआई मॉडल को सेवा देते हुए देखें।

एआई भाषायी बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को मदद कर सकती है। अभी सुदूर देशों के साथ संपर्क

साधना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्यमी भाषायी तौर पर कुशल नहीं होते, लेकिन एआई द्वारा आसानी से मूल भाषा में अनुवाद करके सामग्री उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिल सकती है। इससे नई–नई चीजों को ईजाद करने में काफी सहायता मिलेगी और कामकाज में तेजी आ सकेगी।

जीवन–स्तर की गुणवत्ता में एआई द्वारा सुधार लाना आर्थिक नजरिये से सुखद माना जाता है। एआई पेशेवर लोगों की क्षमता बढ़ाने में मददगार होगी। इससे उनके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सूचनाएं न सिर्फ काफी तेजी से आ सकेंगी, बल्कि उनका गहन विश्लेषण भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे कर्मियों की क्षमताओं में इजाफा होगा। वित्तीय बाजार पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और वित्तीय योजनाएं बनाने में एआई पेशेवरों की मदद कर सकेगी।

एआई से कुछ क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन भी होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में मांग घट सकती है, जिसके लिए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा और कौशल जिनके पास होगा, वे आगे बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि एआई में अमेरिका और चीन की तेजी को बाकी दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे देशों के बीच ठीक उसी तरह असमानता बढ़ सकते है, जिस तरह समाज में कुशल और अकुशल लोगों के बीच गैर–बराबरी है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि एआई–सक्षम देश नव–साम्राज्यवादी ताकत बन सकती हैं और वे उन मुल्कों पर दबाव बना सकती हैं, जो एआई अपनाने में कमजोर रहेंगे। इससे दुनिया में आर्थिक विषमता का एक नया चक्र शुरू हो सकता है।

एआई से अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए भारत जैसे देश लगातार काम कर रहे हैं। हमें कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला है, शोध कार्यों के लिए माहौल सुधारना। इसके लिए उच्च शिक्षण व शोध संस्थानों को पहल करनी चाहिए और शोध–संबंधी माहौल की जो कमियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को भी शोध व विकास पर अपने खर्च बढ़ाने होंगे। दूसरा काम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। बेशक, नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि छोटे–छोटे बच्चे भी नई–नई तकनीक को समझ सकें, लेकिन कक्षा के मुताबिक उनकी मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। 'कैसे हमें सीखना चाहिए' यह सीख हमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बच्चों को सिखानी होगी। अच्छा होगा, भारत यह पहल करे कि 'ग्लोबल साउथ' के देश आपस में मिलकर एआई पर काम करें। इससे एआई का हर मोर्चे पर अधिकतम फायदा उठाया जा सकेगा।

पूर्व राजनयिक विवेक काटजू के अनुसार सभी बुनियादी बदलावों की तरह एआई भी दुनिया को बदल देगी। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि पिछले बदलावों के विपरीत इसकी गति आश्चर्यजनक है और यह मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने लगी है। लिहाजा, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नई तकनीक मानवता की भलाई की ताकत बने। इसका आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, उन्होंने एआई को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बनाने की बात कही। चूंकि, हमारे पास कुशल व युवा श्रमबल की बड़ी क्षमता है, इसलिए एआई के क्षेत्र में हमारी अहमियत बढ़ जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एआई का 'मानव' (एमएएनएवी) मंत्र भी समझाया। उनके मुताबिक, इसे केवल डाटा और एल्गोरिदम द्वारा संचालित स्वायत्त शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय आकांक्षाओं, नैतिकता और गरिमा के विस्तार के तौर पर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस मानव मंत्र की बात की, उसमें एम यानी, नैतिकता और नीति–परक दिशा–निर्देशों पर आधारित। इसी तरह ए, यानी जवाबदेह शासन। एन, यानी राष्ट्रीय संप्रभुता। ए, यानी सुलभ व समावेशी तंत्र और वी, यानी वैध व न्यायसंगत प्रणाली। भारत का यह मंत्र 21वीं सदी की एआई–सक्षम दुनिया में मानव–कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।

'मानव' मंत्र विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि यहां के देशों के पास एआई तंत्र विकसित करने के वास्ते संसाधन और बुनियादी ढांचे का अभाव है। लिहाजा, यह जरूरी है कि एआई का लाभ सभी के लिए उपलब्ध हो। रही बात एआई साक्षरता को बढ़ावा देने की, तो इसके लिए जरूरी है कि एआई 'ओपन सोर्स' पर विकसित हो। इससे फायदा यह होगा कि इस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को 'रणनीतिक संपदा' न मानने की वकालत की है। वास्तविकता यही है कि दुनिया की दोनों बड़ी एआई ताकतें (अमेरिका और चीन) इसे रणनीतिक संपदा ही समझती हैं। चीन के पास 'क्रिटिकल मिनरल्स' और 'रेयर अर्थ' बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, और वह इनके निर्यात पर भी नियंत्रण रखता है। इसका मतलब है कि वह एआई को आपूर्ति श्रृंखला पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ, अमेरिका सेमीकंडक्टर के निर्यात पर दबदबा रखता है।

आज यदि भारत को अमरीका तथा चीन का मुकाबला करना है, तो उसे सबसे पहले आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। एआई में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हम गणित, भौतिकी और विज्ञान के अन्य विषयों में अपने विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में युवा पीढ़ी को बड़ी संख्या में शिक्षित–प्रशिक्षित करें। हमारे यहां कुशल आबादी है, उसे सिर्फ 'अपग्रेड' करने की जरूरत है। एआई के पूरे चक्र पर नियंत्रण पाने के लिए हमें यह करना ही होगा।

वरिष्ठ पत्रकार टी.के. अरुण ने ठीक ही लिखा है कि भारत को अपने आईटी सेक्टर और आईटी आधारित सेवाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए एआई एप्लिकेशन बनाने की जरूरत है। ये एप्लिकेशन अमेरिका और चीन के मौजूदा प्लैटफॉर्म पर भी बनाए जा सकते है। लेकिन, देश को रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऐसा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चाहिए, जिसमें दूर से छेड़छाड़ न की जा सके। इसका मतलब है कि भारत को अपना खुद का एआई चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एआई एप्लिकेशन और छोटे मॉडल बनाने की सलाह दी गई है। भारतीय कंपनी सरवम ने भारतीय भाषाओं को पढ़ने और बोलने के लिए एप्लिकेशन बनाए है। इसका मॉडल दो अरब पैरामीटर पर काम करता है। वहीं, गूगल और ओपेनएआई जैसे बड़े टेक कंपनियों के ताकतवर मॉडल एक ट्रिलियन से ज्यादा पैरामीटर पर चलते हैं। कम पैरामीटर वाले छोटे एआई मॉडल खास कामों के लिए बनाए जा सकते है। इनको प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन, गौर करने वाली बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा भारत में जेनरेट होता है। इसकी वजह है विशाल आबादी और सस्ता इंटरनेट। अगर भारत चाहता है कि भारतीयों का डेटा देश में ही रहे, तो उसे अपने डेटा सेंटर बनाने होंगे। साथ ही, तेजी से बदलती तकनीक की दुनिया में भारत को अपना बड़ा एआई मॉडल भी बनाना होगा। भारत को डेटा सुरक्षित रखने और उसे प्रॉसेस करने के लिए बड़ी क्षमता के सेंटर्स की जरूरत है। इसके तीन कारण हैं। पहला, अगर विदेशी डेटा यहां स्टोर किया जाता है, तो उसकी प्राइवेसी की गारंटी देनी होगी। ऐसे में उस डेटा का उपयोग भारतीय एआई मॉडल को ट्रेन करने में नहीं हो सकेगा। दूसरा, डेटा सेंटर बिजनेस इस तरह बनाया जाता है कि उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो। अगर वे विदेशी डेटा से भर जाएंगे, तो भारतीय डेटा के लिए बहुत कम जगह बचेगी। तीसरी वजह यह है कि डेटा सेंटर चलाने के लिए बहुत बिजली की जरूरत होती है। बड़े डेटा सेंटर के लिए तो हजारों मेगावाट या गीगावाट बिजली चाहिए। कुछ डिवेलपर्स कहते है कि इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर या पवन ऊर्जा, का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन, यह ऊर्जा हर समय नहीं मिलती। जब धूप नहीं होती और हवा नहीं चलती, तब थर्मल पावर की ओर मुड़ना पड़ता है। दुनियाभर का डेटा स्टोर करने वाले विशाल सेंटर को चलाने के लिए जरूरी बिजली पैदा करने से प्रदूषण बढ़ सकता है। इससे लोगों की सेहत सर पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली पर बुरा असर हर सर्दियों में पड़ता है।

एआई डिवेलप करने के लिए गणित पर मजबूत पकड़ जरूरी है, खासकर लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबैबिलिटी जैसे विषयों में। लेकिन, सबसे बड़ी समस्या है अत्याधुनिक चिप्स की कमी। केवल कुछ कंपनियां ही ये चिप्स डिजाइन और डिवेलप करती है। इनकी सप्लाई कम है और ऊपर से अमेरिका ने अडवांस्ड चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। चिप की कमी से बचने का एकमात्र तरीका है कि भारत इनको खुद बनाए। भारत में चिप बनाने के लिए पहले उन खास मशीनों को बनाना होगा, जिनसे चिप तैयार होती हैं। इनमें उन्नत लिथोग्राफी मशीनें शामिल हैं।

आईटी विशेषज्ञ श्रीदेव कृष्णकुमार ने ठीक ही लिखा है कि भारत का आईटी उद्योग एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक पुरानी और बड़ी आशंका है कि एआई के बढ़ते प्रभाव से आईटी क्षेत्र में कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि, भारत के आईटी क्षेत्र के दिग्गज यह मानते हैं कि ऐसी आशंकाएं निराधार हैं और यह उद्योग बिना किसी बड़ी कठिनाई के खुद को नए माहौल में ढ़ाल लेगा।

आईटी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि बहुत पहले ही चरम पर पहुंच गई है। उद्योग संगठन नैसकॉम द्वारा जारी आईटी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से संकलित किया है, जिनमें उनके अपने प्रेस ज्ञापन, शोध पत्र और डाटा प्रदाता सीईआईसी शामिल हैं। तमाम रुझानों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में रोजगार वृद्धि अब अपेक्षाकृत स्थिर है। 1996 और 2000 के बीच आईटी क्षेत्र में रोजगार 1-8 गुना बढ़े। इसके अगले दशक में तेजी आई, तो आईटी उद्योग को अभूतपूर्व गति मिली, जिससे यहां कर्मचारियों की संख्या आठ गुना से अधिक बढ़कर 23 लाख पर पहुंच गई।

उसके अगले दशक में इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या लगभग दोगुनी बढ़ी, हालांकि, इस बार इसका आधार कहीं अधिक बड़ा था। 2020 से 2025 की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में महज 1-3 गुना वृद्धि देखी गई। स्पष्ट रूप से 2000 का दशक या इस सदी का पहला दशक आईटी क्षेत्र में सबसे अच्छा बीता था। इधर आईटी के विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है? एआई ने आईटी के विकास को प्रभावित किया है। कोविड महामारी के तुरंत बाद के समय में थोड़ी वृद्धि को छोड़कर, रोजगार वृद्धि आईटी सेक्टर में काफी हद तक स्थिर ही रही है। बड़े पैमाने पर छोटी कंपनियां भी इस उद्योग में आगे आई हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में रोजगार दिए हैं। ऐसे में, समग्रता में इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को ठीक माना जा रहा है। बहरहाल, हमें यह सोचना होगा कि हम एआई के दौर में भी रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं?

एआई के मामले में कुशल इंजीनियर की ही नहीं, हमें एआई में कुशल प्रबंधकों की भी जरूरत है। अंततः ज्यादातर कंपनियों में प्रबंधक ही इंजीनियरों से काम लेते हैं। ऐसे में, प्रबंधक या बिजनेस लीडर का एआई में पारंगत

होना बहुत जरूरी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारतीय बिजनेस स्कूल शिक्षण, अनुसंधान और पाठ्यक्रम निर्माण में जनरेटिव एआई को तेजी से अपना रहे हैं। फिर भी केवल 51 प्रतिशत संकाय सदस्य ही बिजनेस स्कूल के छात्रों पर एआई के सकारात्मक प्रभाव को लेकर आश्वस्त हैं। इसके अलावा, केवल 7 प्रतिशत ही इसके विशेषज्ञ उपयोगकर्ता हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि एआई उपकरणों में, चैटजीपीटी को शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक माना गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी का स्थान रहा, जबकि गूगल जेमिनी और क्लाउड को मध्यम रेटिंग मिली। मेटा एआई को प्रासंगिकता में सबसे कम रेटिंग मिली। अब बिजनेस स्कूल में जो प्रबंधक तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें एआई में पारंगत करना होगा। नेतृत्व करने वाले उद्यमियों को भी एआई में कुशल होना पड़ेगा।

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि एआई केवल वैज्ञानिक प्रगति को ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगेगा। शिक्षा पूरी तरह से बदल जाएगी। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बदल जाएगी। काम करने का मतलब ही पूरी तरह बदल जाएगा। कंपनियां कुछ लोगों और एक विशाल डाटा सेंटर के साथ अविश्वसनीय रूप से नए प्रकार के मूल्य का निर्माण करने लगेंगी।

एआई अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया है। यह एक ऐसा आर्थिक इंजन है, जो नई क्षमताओं को दुनिया के सामने ला रहा है। आने वाली पीढ़ी लोगों की जरूरतों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी। आने वाली पीढ़ी लोगों के साथ बातचीत करने, उन्हें प्रेरित करने, रचनात्मक विचार पेश करने, तेजी से अनुकूलन करने और मूल्य सृजित करने के तरीके को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगी।

एआई में वेतन का हाल बेहतर है। भारत में शुरुआती स्तर के ट्रेनी एआई इंजीनियर का मासिक वेतन 40 हजार रुपये से 70 हजार रुपये तक होता है, जिसमें ज्यादातर फ्रेशर्स को 50 से 60 हजार रुपये के बीच वेतन मिलने लगा है। ये इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। एक या दो वर्ष के अनुभव के बाद प्रतिमाह वेतन दो लाख रुपये तक पहुंच जाता है। एक औसत अनुभवी एआई मिलने इंजीनियर को प्रति माह 3-5 लाख रुपये वेतन मिलने लगा है। वैसे, भारत से विदेश जाने वाले आईटी या एआई इंजीनियर भी बहुत हैं, भारत की तुलना में विदेश में दो गुना से चार गुना अधिक वेतन मिलने की संभावना रहती है। विदेशी कंपनियां अनुभवी भारतीय इंजीनियरों को तरजीह देती हैं।

भारत में एआई की प्रतिभाओं को रोकना जरूरी है। एक अनुमान के अनुसार, भारत के करीब 100 एआई स्टार्टअप ज्यादा सुविधा और कमाई की वजह से या तो अमेरिका जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं। जिन भारतीय कंपनियों ने अपने देश में अपना कारोबार फैला लिया है, वे भी अमेरिका और यूरोपीय देशों में अपने लिए बड़ा बाजार या अवसर तलाश रही हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि उनके संस्थापक भी विदेश में बसने को तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है, भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बेहतर माहौल की जरूरत है।

भारत भले ही एआई की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे अपनी ताकत को सहेजने के लिए बड़े प्रयासों या अभियानों की जरूरत है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी एआई उद्योग को ज्यादा मदद की आशा है।

सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा लगता है, कई बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक में निवेश करने में चूक की है और इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है। हो सकता है, एआई के प्रभावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया जा रहा हो। कंपनियों को मजबूती का परिचय देना होगा। छंटनी करने या छंटनी का रोना रोने वाली भारतीय कंपनियों को छवि की भी चिंता करनी चाहिए। भारतीय कंपनियां सुरक्षित रोजगार देंगी, तो इससे उन्हें अच्छे मानव संसाधन और धन, दोनों तरह से लाभ होगा।

वरिष्ठ पत्रकार संजय गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि चूंकि भारत एआई में भविष्य देख रहा है, इसलिए भारत सरकार एआई पर निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और इस कोशिश में है कि दुनिया भर की एआई कंपनियां भारत के साथ मिलकर काम करें। भारत की तकनीकी क्षमता से दिग्गज एआई कंपनियां प्रभावित हैं। उन्हें भारत अपने लिए एक बड़ा बाजार भी दिख रहा है और मानव संसाधनों का स्रोत भी। अमेरिका के बाद चैटजीपीटी के सबसे अधिक उपभोक्ता भारत में हैं। इसे छात्रों से लेकर उद्योग जगत के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में चैटजीपीटी के साथ अन्य एआई टूल के उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार भी एआई टूल्स के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। उसकी कोशिश है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग जगत के साथ शासन–प्रशासन और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल हो।

यह अच्छा है कि भारत एआई की महत्ता को समझ रहा हैं। इस बजट में घोषणा की गई है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेवा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए एक समिति गठन करेगी। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने 'भारत विस्तार' नाम

से एक नई पहल का एलान किया, जो किसानों के लिए एआई आधारित बहुभाषी सिस्टम होगा। बजट से पहले पेश आर्थिक समीक्षा में भी एआई को एक आर्थिक रणनीति के रूप में देखा गया। यह स्पष्ट है कि जैसे इंटरनेट के उपयोग में भारत अग्रणी देशों में है, वैसे ही शीघ्र ही एआई के इस्तेमाल में भी आगे होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि अधिकांश एआई कंपनियां अमेरिकी हैं और वे भारत में वर्चस्व बढ़ा रही हैं। इस कारण यह सवाल उभर रहा है कि ये अमेरिकी कंपनियां भारतीय डाटा का उपयोग करके अपने एआई माड्यूल को सुदृढ़ करने के क्रम में अपने आर्थिक लाभ में भारत को हिस्सेदार बनाएंगी या नहीं और यदि बनाएंगी तो किस तरह? क्या भारतीयों का डाटा भारत में रहेगा और वह उसके अधिकार क्षेत्र में होगा?

इस समय विश्व भर में जैसी तेजी के साथ एआई कंपनियों में निवेश हो रहा है, वैसी तेजी किसी अन्य सेक्टर में नहीं दिख रही। कुछ विशेषज्ञों की मानें तो एआई कंपनियां अपने एकाधिकार को बढ़ा रही हैं। इसी एकाधिकार के कारण उनके स्टाक बढ़ते जा रहे हैं और उनमें निवेश भी बढ़ रहा है। अमेरिकी कंपनियों की कुछ हद तक काट चीन की एआई कंपनियां कर रही हैं, पर अभी उनका वैसा दबदबा नहीं, जैसा गूगल, ओपनएआई, मेटा आदि का है। फिलहाल एआई तकनीक के विकास में यूरोप के साथ विश्व के अन्य देष पीछे नजर आ रहे हैं। भारत एआई क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बात तब बनेगी, जब भारतीय एआई कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के समकक्ष खड़ी हो सकें। उन्हें अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता से बचना होगा और अपनी अलग पहचान बनानी होगी।

भारत सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि एआई तकनीक के विकास के नाम पर विदेशी एआई टूल की नकल न होने पाए। हम विदेशी तकनीक और उपकरणों की नकल करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसे उद्योग जगत को भी समझना होगा और षिक्षा संस्थानों को भी। भारत में युवा एआई का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वे इससे अनजान से हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है? इसी तरह, बहुत से लोग नहीं जानते कि इसके दुरुपयोग से कैसे बचा जा सकता है? अभी छात्रों को एआई के बारे में सही ज्ञान देने की भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन सकी है। साफ है. कि एआई के पठन–पाठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के साथ उद्योग जगत को इसके प्रति भी सावधान रहना होगा कि ऐसी स्थिति न आने पाए कि एआई आधारित नई नौकरियां सृजित होने के पहले परंपरागत नौकरियों पर कोई बड़ा संकट आ जाए।

एआई का दुरुपयोग रोकने की अभी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन सकी है। जब यह स्पष्ट है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ेगा, तब उसके नियमन के लिए कोई ठोस ढांचा बनाया जाना समय की मांग है। अच्छा हो कि ट्राई सरीखी कोई नियामक संस्था बने, जो एआई तकनीक के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो एआई के दुरुपयोग से समाज में विघटन पैदा करने, भ्रम फैलाने का काम हो सकता है। सरकार को एआई तकनीक के विकास और उसके उपयोग के मामले में सतत निगाह रखने और एआई तंत्र की लगातार समीक्षा करने के लिए भी तैयार रहना होगा।

वरिष्ठ पत्रकार पत्रलेखा चटर्जी ने ठीक ही लिखा है कि सरकारी अभियानों से लेकर स्टार्टअप खड़ा करने तक, स्वास्थ्य सेवा से लेकर खेती तक, एआई को वह ताकत माना जा रहा है, जो भारत को भविष्य की ओर ले जाएगा। मगर एक गंभीर सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और वह यह कि लाखों भारतीय इस प्रौद्योगिकी से अनजान हैं, जबकि इसका पहले से ही फायदा उठाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर पाना और उसके बारे में जागरूक होना एक जैसा नहीं है।

इस साल की शुरुआत में, बेंगलूरू में एक 22 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उसने एक डेटिंग एप पर साइन अप किया और 'इशानी' नाम की प्रोफाइल से दोस्ती की। उसे यह नहीं पता था कि 'इशानी' एक एआई निर्मित डीपफेक तरीका था। बातचीत जब व्हाट्सएप पर होने लगी, तो धोखेबाज ने उसे वीडियो कॉल के दौरान कपड़े उतारने के लिए कहा। और उस वीडियो कॉल को चुपके से रिकॉर्ड करके पीड़ित को कई अकाउंट में 1.5 लाख रुपये भेजने के लिए ब्लैकमेल किया। पुलिस का मानना है कि धोखा करने वालों ने नकली महिला को असली दिखाने के लिए एआई से बने वीडियो का इस्तेमाल किया। पीड़ित को लगा कि वह किसी जिंदा इन्सान से बात कर रहा है। यह आकलन उसे बहुत महंगा पड़ा। यह अकेली घटना नहीं है। डेटिंग एप्स पैसों से लेकर यौन शोषण तक की धोखाधड़ी के लिए मुफीद बन गए हैं। एआई अब इन चीजों को और बढ़ा रहा है, जिससे नकली पहचान ज्यादा प्रभावी हो गई है।

बेंगलूरू का मामला याद दिलाता है कि जैसे–जैसे एआई टूल्स आसानी से मिल रहे हैं, वैसे–वैसे इससे होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई लोग वीडियो कॉल पर मौजूद व्यक्ति को असली मान लेते हैं, जिससे अक्सर ऐसे अपराध होते हैं। डेटिंग एप्स से जुड़े यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं से सावधान रहने की जरुरत है। प्यू रिसर्च सेंटर के 25 देशों में किए गए एक वैश्विक सर्वे से पता चला है कि एआई के बारे में जागरूकता के मामले में भारतीय सबसे निचले पायदान पर हैं।

यदि भारत एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे जागरूकता बढ़ानी होगी। स्कूलों और कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के तहत एआई और डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल शामिल करने चाहिए। माई जीओवी, डिजिटल इंडिया और दूरदर्शन जैसे मंचों के जरिये जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिनमें एआई को सरल शब्दों में समझाया जा सके। नागरिकों को पता होना चाहिए कि डीपफेक कैसे काम करते हैं, स्कैम कैसे काम करते हैं, और खुद को कैसे सुरक्षित रखें। कौशल विकास कार्यक्रम में एआई और डाटा एनालिटिक्स प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिए, ताकि ग्रामीण युवा पीछे न रहें। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का पारदर्शी अमल और इसके बारे में नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय कार्यशाला स्वयंसेवी संगठन और सिविल सोसाइटी समूह लोगों को धोखाधड़ी को पहचानना और टेक्नोलॉजी का सुरक्षित इस्तेमाल करना सिखाने में भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

हमें कंप्यूटिंग शक्ति (जीपीओ) और महंगे क्लाउडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल करने होंगे। यही नहीं, मंझोले और छोटे शहरों के साथ दूरदराज के गांवों में एआई संस्कृति को तेजी से विस्तार देना होगा। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि अगले साल के अंत तक हम पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ इनमें से कई लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो जाएं। भारत को दो वर्ष में 200 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो यह हमारी छलांग की गति और शक्ति, दोनों को बढ़ाने में मददगार होगा।

लोक–नीति विश्लेषक श्री आदित्य सिन्हा के अनुसार कई दिग्गज संस्थाओं के सर्वेक्षणों में यह सामने आया है कि भारत और चीन जैसे देशों में एआई के प्रति 88 प्रतिशत तक की सकारात्मक भावना है। इसके उलट पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे लेकर सतर्कता एवं संदेह का भाव दिखता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एआई ने कुछ स्थापित पारंपरिक पेशों के लिए खतरे की घंटी बजाई है तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यथार्थ ही कहा है कि कुछ पक्ष एआई में डर देखते हैं तो भारत इसमें अपना भविष्य देखता है। एआई से जुड़ी भारत की उम्मीदें उसके अनुभवों से ही उपजी हैं। जैसे आधार और यूपीआइ जैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भुगतान, पहचान सत्यापन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में तमाम बाधाओं को दूर करते हुए दैनिक जीवन को बहुत सुगम बनाया है। यह इसका जीवंत प्रमाण है कि कोई तकनीक कैसे लागत को घटाकर सक्षमता को बढ़ा सकती है। स्वाभाविक है कि भारत अपनी इस सफलता को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है।

भारत ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के अपने मूल मंत्र के साथ एआई के मानवीय व समावेशी उपयोग की वकालत की और वैश्विक शांति व रोजगार–सृजन के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। आज दुनिया के अनेक देश अपनी मूलभूत आवश्यकताओं– मसलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और रोजगार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में एआई तकनीक यदि सही नीति, पारदर्शिता और नैतिक मानकों के साथ अपनाई जाए, तो यह वरदान सिद्ध हो सकती है।

आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होना अनिवार्य हो गया है। एआई एक ऐसा तंत्र है, जो कंप्यूटर और मशीनों को मानवीय सोच, विश्लेषण, निर्णय क्षमता और जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाता है। इससे अनेक कार्य अधिक सहज और तीव्र गति से किए जा सकते हैं। बेशक, एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर यह आशंका जताई जाती है कि इससे पारंपरिक नौकरियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब–जब नई वैज्ञानिक तकनीकें आईं, प्रारंभिक आशंकाओं के बावजूद नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न हुए। औद्योगिक क्रांति से लेकर सूचना क्रांति तक, हर तकनीकी परिवर्तन ने श्रम के स्वरूप को बदला है, उसे समाप्त नहीं किया। एआई भी स्वास्थ्य सेवाओं, डाटा विश्लेषण, कृषि प्रौद्योगिकी, शिक्षा तकनीक और स्टार्टअप में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। जाहिर है, भारत और अन्य देश यदि कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इससे न केवल आर्थिक प्रगति होगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मजबूती मिलेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अनेक राष्ट्राध्यक्षों की दृष्टि में हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। इस लिहाज से देखें, तो एआई सम्मेलन की सफलता न केवल तकनीकी दृष्टि से, बल्कि कूटनीतिक व आर्थिक दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि है। यदि एआई का उपयोग मानव कल्याण, पारदर्शिता व समान अवसरों के सिद्धांत पर आधारित हो, तो इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

हालांकि, इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस पर हमें कहीं अधिक संजीदगी से काम करना होगा। जैसे, सन माइक्रोसिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला ने एआई समिट में बताया कि एआई की वजह से पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं और 2030 तक कॉल सेंटर

व बीपीओ जैसे कामों में लोगों की जरूरतें खत्म हो सकती हैं। जाहिर है, अब काम करने के तरीके बदल रहे हैं और उसी बदलाव के अनुसार हमें लोगों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत में महत्वाकांक्षी नौजवानों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है।

यद्यपि एआई का उदय कई अवसर प्रस्तुत करता है, यह महत्वपूर्ण नैतिक विचारों को भी जन्म देता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के अनुसार एआई की सफलता का असली पैमाना यह है कि वह रोजमर्रा की समस्याओं को कितने प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और रोजगार पर प्रभाव जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। पारदर्शी और जवाबदेह एआई सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे निष्पक्ष हों और गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करें। इसके अतिरिक्त, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश और नियम स्थापित करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

वरिष्ठ टिप्पणीकार अक्षय शुक्ला के अनुसार एआई जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में मददगार साबित हो रहा है, वह किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन इसका दुरुपयोग मानव जाति पर संकट भी खड़ा कर सकता है, जिसकी चिंता खुद इसके जनक जाहिर कर रहे हैं। चैटजीपीटी बनाने वाले ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसके बढ़ते खतरों के प्रति एक बार फिर आगाह किया है कि एआई पर सख्त नियंत्रण न रहा तो गलत हाथों में पड़कर यह सर्वनाश कर सकता है। सैम ऑल्टमैन की यह चिंता बेवजह नहीं है। पौराणिक कथा है कि एक असुर घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान पा लेता है कि जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। फिर क्या था, भस्मासुर देवताओं के पीछे पड़ गया। हद तो तब हो गई जब अहंकार में चूर होकर वह एक दिन शिवजी के पीछे ही दौड़ पड़ा। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उसी वर से उसे भस्म करवा देते हैं। कुछ ऐसे ही भस्मासुर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो किसी भी अच्छी चीज का दुरुपयोग करने पर आमादा रहते हैं। एआई को ही ले लीजिए। जिस तेजी से हर फील्ड में एआई की उपयोगिता बढ़ी है और यह दिन पर दिन खुद को निखार रहा है, उससे कई तरह के सुरक्षा खतरे पैदा हो गए हैं। यह बहुत तेजी से कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों का पता लगाने में सक्षम होता जा रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम के लिए घातक हो सकता है क्योकि एआई अब हैकिंग में भी गलतियां ढूंढना शुरू कर चुका है। इसके दूसरे खतरों की बात करें तो सोशल मीडिया पर जिस तेजी से फर्जी व आपत्तिजनक कंटेंट और विडियो की भरमार हो गई है, वह किसी की निजी जिंदगी के अलावा पूरे समाज के लिए भी खतरनाक है। किसी भी शख्स को कहीं भी, किसी के साथ भी और किसी भी स्थिति में दिखा दिया जाता है। हाल में एआई प्रॉम्प्ट के जरिए महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाकर अपलोड करने का मामला इतना बढ़ा कि सरकार को दखल देना पड़ा। लगातार मिलने वाली शिकायतों के बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद कंपनी ने कहा है कि उसके एआई टूल ग्रोक पर बनाए गए अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के साथ ही इसे अपलोड करने वाले अकाउंट को भी स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यह सख्ती बेहद जरूरी है, साथ ही एआई के उजले पक्ष के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना भी। चिकित्सा के क्षेत्र में यह वाकई वरदान साबित हो रहा है। चीन के केस को ही देख लें, जहां एआई ने एक शख्स में पैंक्रियाज के कैंसर को एकदम शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट कर लिया, जबकि आमतौर पर इसका पता अंतिम स्टेज में चल पाता है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर यह ट्यूमर निकाल दिया। जो तकनीक जीवन बचाने का काम कर सकती है, उससे किसी का जीवन बर्बाद न हो, इसके लिए हर हाथ में इस तकनीक की आसान पहुंच को रोकना होगा।

वरिष्ठ विश्लेषक निमिश दुबे एवं आकृति राणा ने ठीक ही लिखा है कि एआई की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एआई को काम करने के लिए बिजली, पानी और जगह की जरूरत होती है। कोई किसी मंच से कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यही है कि धरती पर संसाधन खत्म हो रहे हैं। बात केवल एआई की नहीं है, सभी को प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक लेख के अनुसार, एआई को जरूरत जरूरत होती है डेटा सेंटर्स की, जो विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। मात्र दो किलो के ऐसे एक कंप्यूटर को बनाने में पूरे 800 किलो का कच्चा माल लगता है। इसे बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी चाहिए, जिनको जमीन से निकालने का तरीका भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।

एक स्टडी के अनुसार, दुनिया में एआई को जल्द ही डेनमार्क जैसे देश से छह गुना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है। तमाम देश पहले ही साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में एआई की वजह से संकट और गहरा हो सकता है। एआई को चलाने में काफी बिजली भी लगती है। अगर आप किसी शब्द की खोज चैटजीपीटी और गूगल सर्च पर करते हैं, तो परिणाम दिखाने में चैटजीपीटी 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है। बिजली बनाने की प्रक्रिया में भी पर्यावरण पर

असर पड़ता है। जितनी ज्यादा बिजली लगेगी, असर उतना गहरा होगा। भारत में एआई द्वारा संसाधनों के खर्च में कमी आई है। लेकिन, याद रखना होगा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कोई संन्यासी नहीं है, जो ऐसे ही काम करता रहे। कुछ जानकारों का मानना है कि एआई दिग्गजों की भारत में दिलचस्पी का कारण है सस्ता पानी और श्रम।

तकनीक उपयोगी है और भविष्य का अहम हिस्सा भी, लेकिन जैसे इंसानों पर कानून और जवाबदेही लागू होती है, वैसे ही एआई बनाने और चलाने वालों पर भी हो। पृथ्वी के सीमित संसाधनों की रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने प्रकृति का संतुलित उपयोग कम और दोहन ज्यादा किया है। आज हमारे आसपास की दूषित हवा और प्रदूषित पानी उसी का परिणाम हैं। ऐसे में अगर एआई का विस्तार बिना किसी नियम और जिम्मेदारी के होगा, तो संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा। इसलिए अंकुश जरूरी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई नुकसान हैं, जिनमें स्वचालन के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों का विस्थापन, एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रह, कार्यान्वयन की उच्च लागत और निगरानी, गोपनीयता एवं जवाबदेही से संबंधित नैतिक चिंताएं आदि उल्लेखनीय हैं। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सहानुभूति का अभाव है। साथ ही, इसके दुरुपयोग के जोखिम भी खूब हैं, जैसे डीपफेक बनाना और उच्च ऊर्जा खपत के कारण पर्यावरणीय नुकसान आदि। एक अनुमान के मुताबिक, 2030 तक एआई स्वचालन के कारण विश्व स्तर पर 40 से 80 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। भारत में भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां अकुशल या अर्ध–कुशल कामगारों की संख्या करोड़ों में है। एआई को अपनाने के बाद इनका क्या होगा, किसी ने कभी सोचा है? ठीक है, इसके बदले आधुनिक पीढ़ी के नौजवानों को, जो इस तकनीक में पारंगत होंगे, नौकरी मिल जाएगी, पर क्या यह नियुक्ति उस नुकसान की भरपायी कर पाएगी, जो करोड़ों कामगारों के हाथों से रोजगार के छीने जाने से उत्पन्न होगा?

वर्ष 2023 में हॉलीवुड के लेखकों और अभिनेताओं ने फिल्म–निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनियंत्रित उपयोग के विरोध में कई महीनों तक चलने वाली हड़ताल की थी। यूनियनों ने मानव रचनाकारों के स्थान पर एआई के उपयोग और एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए स्क्रिप्ट के उपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की थी, ताकि मानव का रचनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित रहे। कुछ यही हाल बॉलीवुड का भी हो सकता है, जहां हजारों लोग परोक्ष रूप से फिल्म–निर्माण में सहयोग देकर अपनी रोजी–रोटी चलाते हैं। इनके लिए भी गुजर बसर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निर्माता यही चाहेगा कि उसकी फिल्म जितना कम बजट में बन जाए, उतना ही अच्छा है। कुल मिलाकर, एआई का संभलकर उपयोग करना होगा। हमें यह देखना होगा कि इससे रोजगार पर बहुत नकारात्मक असर न पड़े, क्योंकि भारत में रोजगार संकट पहले से है। ऐसे में, एआई का अधिकाधिक प्रयोग इस संकट को और अधिक गहरा कर सकता है।

निष्कर्षतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय हमारे रहने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। इसके निहितार्थ और अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उद्योगों में क्रांति ला रहे हैं और मानव जीवन में सुधार ला रहे हैं। हालाँकि, एआई की प्रगति के लिए इसके नैतिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास और तैनाती को बढ़ावा देकर, हम निष्पक्ष और समावेशी भविष्य सुनिश्चित करते हुए एआई की क्षमता का दोहन कर सकते हैं। जैसे–जैसे एआई का विकास जारी है, समग्र रूप से समाज के लाभ के लिए इसके प्रक्षेप पथ को आकार देना हमारी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय–समय पर विचार–विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख–सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिये नित नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा, जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो वे मानव सभ्यता के लिये हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। क्या बुद्धिमान मशीनें बेरोजगारी बढ़ा देंगी या मनुष्य को और निपुण बनाएंगी? इस सवाल का जवाब वर्तमान परिस्थितियों में दे पाना संभव नहीं है। जब इनका अधिकाधिक प्रयोग होने लगेगा तब यह समझना कि कैसे किसी कार्य क्षेत्र में बुद्धिमान मशीनों का कुशलता से उपयोग हो सकता है, सफलता के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। एक कुशल शिल्पकार, कलाकार, लेखक, संगीतकार, अध्यापक या डॉक्टर को बुद्धिमान मशीनों के युग में रोजगार तो मिलेगा, पर बुद्धिमान मशीनों का व्यवसाय में दक्षता से प्रयोग उनके कौशल को और निखारेगा। सबसे ज्यादा सफल तो वे होंगे जो एकदम नए उत्पाद, सेवाओं और उद्योगों की कल्पना करने में सक्षम होंगे।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने शुक्रवार, 19 दिसम्बर 2025 को नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने किया।

अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने कहा– 'कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज की प्रतियोगिता का विषय बहुत ही प्रासंगिक है और मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न कार्यालयों से यहाँ पधारे आप सभी प्रतिभागी इससे अवश्यमेव लाभान्वित होंगे। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।' उन्होंने मंचासीन अतिथि श्रीमती प्रज्ञा कांडपाल, सदस्य सचिव, नराकास (कार्यालय), नौएडा तथा सभी प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

तत्पश्चात श्री श्रीमती प्रज्ञा कांडपाल ने नराकास (कार्यालय), नौएडा की विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ इसकी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने का आग्रह किया। श्री बीरेन्द्र

सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के उपरांत स्वागताध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी। इस प्रतियोगिता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के 21 सदस्य कार्यालयों से 47 कार्मिकों ने भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा 2025 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

नौकरी कर रही हूँ मैं।

वर्षांजली तिवारी*

देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।
पहले माँ–पापा के साथ बैठकर,
भरपूर बातें कर लिया करती थे मैं।
माँ की गोद में सारी उलझन सुलझती,
पपा की सीख से हर राह चमकती।
टब बस हालचाल पूछ लेती हूँ मैं,
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।

दोस्तों से मिलकर दोस्ती वाली बातें करना भूल गई हूँ मैं,
सैलरी, अच्छी नौकरी और दफ्तर की बातों में उलझ गई हूँ मैं।
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।

सबसे लाडली, हमेशा घर के बारे में सोचती थी मैं,
अब बस ईएमआई और सैलरी की बातें ज्यादा सोचती हूँ मैं
ये अचानक कैसे बड़ी हो गई हूँ मैं,
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।

कभी चाय की प्याली में सपने सजाती थी मैं,
कभी खिड़की से बाहर झाँकते हुए बारिश को जीती थी मैं।
अब फाइलों के नीचे हर मौसम का छुपाती हूँ मैं

देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।
हर महीने की पहली तारीख को खुश होती,
पर खुद को अधूरी–सी लगती हूँ मैं।
कभी खुद के लिए सोचा करती थी मैं,
अब सबसे पहले घर की जरूरतें गिनती हूँ मैं।
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।
हर दिन संघर्ष, हर पर तैयारी,
नौकरी की फाइलें और ऑफिस की तैयारी
सपनों की दौड़, शर की जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ मैं
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।

ये राहें कठिल हैं, पर यही मेरा फसाना है,
मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान बन जाना है।
क्ल जब चमकेगा नई सुबह का उजाला,
डस रोशनी में मेरा भी नाम है आना।

हाँ, नौकरी ने बहुत कुछ छीना भी है,
पर सच कहूँ तो सिखाया भी है।
सिखाया – माँ–पापा की उम्मीदें कैसे निभानी,
सिखाया – थकान में भी मुस्कान कैसे सजानी।
संघर्षों के बीच में, सपनों को भी जी रही हूँ मैं
देखो ना, नौकरी कर रही हूँ मैं।

---

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

MAKE IN INDIA

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान V.V. Giri National Labour Institute

श्रमेव जयते

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in